

# जनता का राज्य

मनमोहन चौधरो



केन्द्राय गांधी स्मारक निधि  
नई दिल्ली

बैलद्वीय गांधी स्मारक निधि  
राजघाट, नई दिल्ली  
के लिए  
मन्त्री, सर्व सेवा संघ, वाराणसी  
द्वारा प्रकाशित

प्रतियाँ : ३,०००  
दिसम्बर, १९६६  
मूल्य : २७ पैसे

## भूमिका

गांधो-जन्म-शताब्दी के निमित्त यह छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

सभी जानते हैं कि विनोबाजी भूदान-प्रामदान-आन्दोलन के प्रबत्तक हैं। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वोदय-विचार को मूर्त रूप देना इस आन्दोलन का उद्देश्य है।

इस पुस्तिका के लेखक थे मनमोहन चौधरी आज विविध कार्यक्रम के नाम से प्रामदान, खादी और शान्ति-सेना का जो आन्दोलन चल रहा है, उसके प्रमुख नेताओं में से एक है।

भारत की नवरचना में इच्छि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी अवश्य रहनी चाहिए कि विविध कार्यक्रम के मूल तत्त्व क्या हैं और प्रामदान में भाग लेनेवाले लाडों ग्रामीणों पर आज उसका क्या परिणाम हो रहा है। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में न केवल अद्वा रखता है, बल्कि सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष के नाते देशभर में इसे कार्यान्वित करने में तत्परता से लगा है, उस व्यक्ति से बढ़कर कीर्त होगा, जो इस विषय को ठीक से प्रस्तुत कर सके।

आशा है, पाठक इस पुस्तिका में वर्णित उन परिणामों पर खास ध्यान देंगे, जो न केवल उस गहन विचार पर, बल्कि ग्रामीण भारत के साथ

सीधा सम्पर्क रखनेवाले उन हजारों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर भी प्रकाश डालते हैं।

पुस्तिका सरल और सुव्योग शंली में लिखी गयी है तथा अनुभवों से भरी है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका प्रत्येक पाठक के लिए बोधप्रद सिद्ध होगी और प्रामाण बन्धुओं की समस्याओं का और उनके समाधान का उन्हें परिचय करा सकेगी।

—३० ३० दिवाकर

अध्यक्ष

गांधी स्मारक निधि

## त्रिमूर्ति की उपासना

हमें त्रिविधि कार्यक्रम घलाने हैं : एक कार्यक्रम है, सुलभ प्रामदान का, दूसरा है, प्रामाभिमुख खादी का और तीसरा है, शान्ति-सेना का । ये तीनों मिलकर एक कार्यक्रम है ।

इनमें से जहाँ एक चीज़ है, वहाँ बाकी दो चीजें लानी हैं ; जहाँ दो चीजें हैं, वहाँ तीसरी चीज़ लानी है ; और जहाँ तीनों नहीं हैं, वहाँ तीनों लानी है ।

तीनों के सामने चिन्तन के लिए वायंत्रम त्रिविधि रूप में रखा गया है । हरएक को खात चिन्तनिका होती है, इसलिए हरएक कार्यक्रम के बारे में अलग-अलग सोचना पड़ता है; लेकिन हमको अलग-अलग बाग नहीं बरना है । हमें तीनों को एकब्र करके काग करना है । त्रिमूर्ति की उपासना करनी है । त्रिमूर्ति में तीन अलग-अलग मूर्तियाँ नहीं हैं, एक ही है ।

हमने जब जीवन-दान दिया था, तो उसके साथ हमने मत्र दिया था । वह मत्रपूर्वक दान था । उसमें इहा गया था : “भूदानभूलक प्रामोद्योग-प्रधान अहितक शान्ति के लिए मेरा जीवन-दान ।” आज जो मुस्तभ प्रामदान है, वह भूदान का विकास है; जो प्रामाभिमुख खादी है, वह प्रामोद्योग का सर्वोत्तम प्रशोर है; और शान्ति-सेना दे द्वारा अहितक शान्ति आ सकती है ।

इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह संकट-मोचन का कार्य-क्रम है—भारत के ही नहीं, विश्व के भी संकट-मोचन का । क्योंकि इससे लोक-शाश्वत खड़ी होती है । यदि हम लोक-शाश्वत खड़ी नहीं करेंगे, यदि शांख के गरीब लोगों की जिम्मेदारी गाँववाले नहीं उठायेंगे और राज्य-शासन की अपेक्षा करते रहेंगे, तो स्वतन्त्रता का मूल्य, लोकतन्त्र का मूल्य और समाजवाद का मूल्य—तोनो मूल्य टिक नहीं पायेंगे । और फिर तो भारत ही सारे विश्व को आग लगाने का साधन सिद्ध हो सकता है ।

— विजोद्वा

## अनुक्रम

१. स्वतन्त्रता के बाद	१
२. प्रामदान	५
३. प्रामदान, सरकार और योजना	१३
४. प्रामदान : प्रतिरक्षा-साधन	१९
५. कुछ समस्याएँ	२२
६. प्रामदान-आन्दोलन की स्थिति	२७
७. खादी	३३
८. खादी का व्यापक महत्व	४०
९. शान्ति-सेना का आदर्श	४५
१०. शान्ति-सेना का कार्य	५०
११. उपसंहार	६०



विनोदाजी पद्मासा करते हुए





रामदान के बाद पैदावार की बहार



कलंके ये मुमिहीन आज दे किसान

## स्वतन्त्रता के बाद

"आजाह हिन्दुस्तान में नयी दिल्ली से विशाल भवनों और उनके बगल में घसी हुई गरीब मजदूर-वस्तियों के टूटे-फूटे शोपहो के बीच जो दर्दनाक फर्क आज नजर आता है, वह एक दिन को भी नहीं ठिकेगा।"

गांधीजी ने ये दबद्द स्वराज्य मिलने के कई यथं पहले कहे थे। लेकिन अभी तक यह विषमता वनी हुई है, यही नहीं, बल्कि दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

स्वतन्त्रता प्राप्त हुए २० वर्ष हो रहे हैं, फिर भी देश को अधिकाश जनता गरीबी में डूबी हुई है। भूख और बेकारी कायम है। लाघु लोग आज भी अज्ञान और रोग के शिकार हैं।

आजादी के पहले अनेक सकटों में भी लोग उठ रहे हुए और आजादी के लिए लड़े—उनके मन में यह आज्ञा भी थी कि स्वराज्य मिलते ही ये सारे दुष्य दूर हो जायेंगे।

यह आज्ञा बेमतलब नहीं थी। आज हम एवं ऐसे असाधारण युग में जी रहे हैं, जिसमें ज्ञान की सीमा बहुत बढ़ गयी है। विज्ञान ने हमारे हाथ में अद्भुत शक्ति दे दी है। चारों ओर आधुनिक विज्ञान के घमरार दिखाई दे रहे हैं। यदि इस शक्ति का महीन लाभ उठाया जा सके, तो यहती गर मर्मांश्यापित हो गवता है। भूख, बेकारी और शोमारी हमेशा के लिए मिट गवती है। गमारमर के सोग मुझो और मतोपमप जीवन विता गवती है।

लेकिन यदि आज भी तरह उमरा दुरस्योग ही होता रहा, और युद्ध और दोषा में ही उमरी मद्द गी जाती रही, तो उमरे मारा गमार नष्ट

हो सकता है। और इसके लिए वह भयानक शक्ति अनुबम और हाइड्रोजन बम में इकट्ठी बीं जा रही है।

गांधीजी जानते थे कि हिसा और विज्ञान का मेल होता है तो वह निश्चित ही विश्व-सहार का कारण बनेगा। अगर अहिंसा के साथ विज्ञान का मेल होता है तो मानवता को शान्ति, मुक्ति और सुख प्राप्त हो सकते हैं।

इसलिए भारत की स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने सत्याग्रह जैसा अपूर्व साधन अपनाया और अहिंसक समाज की नीव डालने के लिए अठारह रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इसीको उन्होंने 'सर्वोदय' कहा।

भारत के सामने आज अनेक बुनियादी समस्याएँ हैं। कुछ तो बीते समय के परिणामस्वरूप हैं। विदेशी राज के समय कई समस्याएँ पैदा की गयी थीं और वाकी स्वार्थ और शोधण के लिए विज्ञान का दुरुपयोग करने के कारण पैदा हुई हैं।

भारत के पास एक भव्य सास्कृतिक विरासत है। वह एक ऐसा विशाल सागर है, जिसमें असच्च छोटे-बड़े प्रवाह आ मिलते हैं। उनके मधुर समन्वय से बहुत बड़ी शक्ति और समृद्धि पैदा हो सकती है, परन्तु वह समन्वय अभी हो नहीं पाया है। इसीलिए आज भी हमको भाषा, जाति, धर्म, धर्म आदि भेदों की सकीर्णता और सधर्य के दुखद परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

सेकड़ों वर्षों से बिंगड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था के कारण यहाँ के लोगों में आत्मविश्वास और अभिन्नता की शक्ति नष्ट हो गयी थी। ऐसा विदेशी हुक्मत के कारण हुआ था। गांधीजी ने इस कमी को दूर करने की कोशिश की और काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली। फिर भी रोग अभी तक बना हुआ है। यही कारण है कि लोग हमेशा सरकार या किसी महापुरुष की राह देखते रहते हैं कि वे आकर हमारा सारा काम कर देंगे।

आधुनिक उद्योग और व्यापार-व्यवस्था के कारण मुट्ठीभर लोगों के पास सम्पत्ति इकट्ठी हो गयी है। सरकारी मिलकियत के अलावा जितनी भी औद्योगिक और व्यावसायिक सम्पत्ति है, उसके ४६ प्रतिशत की मालिकी केवल ७५ परिवारों के हैं।

जमीन की मालिकी में भी असमानता है। एक और लगभग २० प्रतिशत खेतिहर मजदूर ऐसे हैं, जिनका जमीन पर कोई हक नहीं है, और दूसरी ओर ७० प्रतिशत कृषि-योग्य भूमि अत्यल्प प्रतिशत परिवारों के नियन्त्रण में है।

पहले छोटे-छोटे उद्योग गाँव-गाँव में चलते थे। उनसे करोड़ों लोगों को रोजी मिलती थी। नये उद्योगों ने उन सब छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया। उनके बदले में दूसरा कोई धधा या रोजगार जुटाया नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि लोग आलसी और काहिली का जीवन जीने को मजबूर हुए।

ये चन्द बुनियादी सबाल हैं, जो आज हमारे सामने हैं। अनाज की कमी, धर्माई, बेकारी, शोषण वर्ग रह अनेक समस्याएँ हैं, जो परेशान कर रही हैं। उन सबका हल तब तक सम्भव नहीं है, जब तब हम सबसे पहले विसानों का प्रश्न हाथ में न लें। सरकार की ओर से जितने भी प्रयत्न हुए, सबके सब असफल हुए, जनता पर उनका जरा भी परिणाम नहीं दिखाई देता। इन सब समस्याओं को हल करना शायद सरकार के बस की बात नहीं है। यही बात गांधीजी बहते थे और आज विनोद भी कह रहे हैं।

सरकारों की शक्ति की तुलना में लोक-शक्ति की ताकत बहुत बड़ी है। जनता ही सरकार बनाती है या तोड़ती है, और त्रान्ति करके बड़े-बड़े परिवर्तन बर दिखाती है।

आज तक जितनी भी त्रान्तियाँ हुई हैं, उनमें अधिकतर त्रान्तियाँ हिसक रही हैं। गांधीजी ने अपने सत्याग्रह-आन्दोलनों से यह दिखा दिया कि त्रान्ति अहिंसा भी होनी है। उन्होंने देश को आजाद होने में मदद की। वे सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान भी त्रान्तिमय उपायों से बरते में मदद बरना चाहते थे, त्रान्तिमय सामाजिक त्रान्ति बरते की उनकी तमन्ना थी। गांधीजी ने बाद उस प्रधास को आगे बढ़ाने का प्रयत्न विनोदजी कर रहे हैं। स्वराज मिलने वे याद आज वे नये सदर्भ में विनोद-जी ने सर्वप्रथम भूमि-समस्या को हाथ में लिया और उमड़े समाधान के लिए

भूदान-आन्दोलन प्रारम्भ किया। इसीसे आगे चलकर ग्रामदान-आन्दोलन निकला।

गांधीजी द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में खादी और शान्ति-सेना प्रमुख कार्यक्रम थे। ये तीनों—ग्रामदान, खादी और शान्ति-सेना—मिस्टकर आज त्रिविधि कार्यक्रम कहलाते हैं। गांधीजी के अन्य सब रचनात्मक कार्यक्रम इन्हीं तीन में समाये हुए हैं, क्योंकि जैसे विनोदाजी कहते हैं “मौ नो निमत्रित किया, तो उसके साथ बच्चे भी आते ही हैं।” यह ‘त्रिविधि कार्यक्रम’ उन सब कार्यक्रमों के लिए द्वार घोल देता है और अनुकूल वातावरण निर्माण कर देता है।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय समाज में ऐमा शान्तिमय परिवर्तन लाना है, जो शान्ति से किसी कदर कम नहीं है। हमारा विश्वास है कि यही एक कार्यक्रम है, जो लोगों में चारों ओर घिरी हुई समस्याओं का हल करने की सक्ति जगा सकेगा और वह दिन ला सकेगा कि जब ‘महूल के बगल में झोपड़े न रहें।’



## ग्रामदान

ग्रामदान-आन्दोलन भूदान वा ही विकसित रूप है। भूदान अप्रैल १९५१ में आरम्भ हुआ था।

पहले हैदराबाद रियासत थी। उसका एक जिला है तेलंगाना। वह भाग अब आध-प्रदेश में मिल गया है। वहाँ उन दिनों किसानों के बीच भयकर अशान्ति भड़क उठी थी। भारत के दूसरे हिस्सों की तरह वहाँ भी कृषि-योग्य भूमि का ज्यादा हिस्सा मुट्ठीभर लोगों के हाथों में था और मेहनतकश किसानों के हाथ में या तो बहुत कम था या विलकुल ही नहीं था। बड़े-बड़े जमीदारों से जमीन छीनने वा एवं हिस्सक आन्दोलन वहाँ छिड़ा हुआ था और भूमिहीन तथा गरीब लोगों को उम्में शामिल कर लिया गया था। वहाँ शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना भेजी गयी थी और उसके बारण यहे जोरों वी धूं-धरायी भची हुई थी।

गरीबों वो न्याय दिलाने ओर शान्ति स्थापित करने वा योई उपाय घोजने के लिए विनोदाजी उम क्षेत्र में ये। वे गाँव-गाँव पैदल जाते थे, लोगों से मिलते थे और परिस्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन करते थे। एक गाँव की सभा में वहाँ के कुछ भूमिहीन किसानों ने उठकर वहाँ विहार में यदि योहो-सी जमीन मिल जाय तो हम आराम से गुजारा कर लें। तुरन्त रामचन्द्र रेडी नामक एक सज्जन ने उन गरीबों में घौटने के लिए अपनी सी एक जमीन दान कर दी और वही से भूदान-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

भूमि-नामस्था हमारे देश की मरम्मत वड़ी और बुनियादी समस्याओं में मेरे एवं रही है। भूमि की मालिकी में इतनी बड़ी अममानता है विद्यमान

१६ प्रतिशत किसान एकदम भूमिहीन हैं, और इससे कुछ अधिक लोगों के पास बहुत कम भूमि है। बड़े जमीदारों की सच्चा अधिक है, लेकिन वे स्वयं खेती नहीं करते। गरीब किसान उनसे बटाई पर या टीके पर जमीन लेते हैं। इससे शोषण, बेदखली और बेहद मालगुजारी आदि अन्यायों को बल मिलता है।

स्वराज्य के बहुत पहले ही वापेस और दूसरे प्रगतिशील राजनीतिक पक्षों ने भूमि-सुधार वी आवश्यकता महसूस की थी। स्वराज्य मिलते ही जमीदारी, मालगुजारी आदि बीच वी व्यवस्था तो हटा दी गयी, लेकिन भूमि के अधिक समान वितरण का कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया। कई राज्यों में भू-स्वामित्व की अधिकतम सीमा ( सीलिंग ) का कानून लागू हुआ। चूंकि यह मर्यादा काफी बड़ी थी, इसलिए भूमिहीनों में बौद्धने के लिए इसमें से बहुत कम जमीन निकल पायी। सीलिंग के कानून के कारण इतना ही हुआ कि बड़े जमीदारों के बीच नये सिरे से भूमि का पुनर्वितरण हुआ। पहले जमीन के बड़े-बड़े टुकड़ों की मालिकी थी, और अब सीलिंग की सीमा के अन्दर कई टुकड़ों में वही मालिकी बनी रही।

विदेशी तत्त्वों ने भी कहा था कि भूमि-सुधार तुरन्त बरना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट सूचित किया था कि एकमात्र भूमि-सुधार से ही कृपित्वा-उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा जाग सकती है। यदि पर्याप्त मात्रा में अन्नोत्पादन नहीं बढ़ेगा तो पचवर्षीय योजनाएँ चिफल हो जायेंगी। फिर भी इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया और आज उसीका परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है।

भूदान भूमि-समस्या का हल करने का एक स्वतन्त्र और स्वच्छ प्रयास था। बिनोबाजी जैसे जैसे तेलगाना से देशभर में पद यात्रा करते गये, वैसे-वैसे यह आन्दोलन सर्वत्र फैलता गया। कुछ ही वर्षों में भूदान के द्वारा लगभग ४० लाख एकड़ जमीन प्राप्त हुई। लेकिन इसमें से लगभग १० लाख एकड़ जमीन ४ लाख परिवारों में बाटी जा सकी है। यहाँ यह ध्यान देने वी बात है कि सीलिंग का कानून लागू करके जो अतिरिक्त

जमीन प्राप्त की गयी, उससे यह जमीन कुछ ज्यादा ही है। ( भू-प्राप्ति और वितरण का चार्ट अन्त में देखिये । )

भूदान-आन्दोलन के कारण देश में एक नयी आशा और नये उत्साह की लहर दौड़ गयी। उससे ग्रामीण क्षेत्र की अन्यान्य समस्याओं पर भी नयी रोशनी पड़ने लगी। देश में और देहातों में जो पुरानी व्यवस्था चालू थी, वह समाज में फूट और भेद-भाव ही बढ़ानेवाली थी। नये आदर्शों के अनुरूप उसकी पुनरंचना करने की आवश्यकता थी, ताकि नया प्राण-सचार हो सके। भारत की सभ्यता का, राजनीति का और अर्थ-नीति का मुख्य आधार यहाँ के देहात है। भारत को जीवित रहना है तो उन देहातों की सस्वृति को छोड़कर नहीं चल सकता।

वर्षों पहले से गांधीजी और देश के अन्य विचारक ग्रामों की नवरचना पर जोर देते रहे। अब ग्रामदान-आन्दोलन के कारण ग्रामों में चेतना जाग्रत करने का और ग्रामीण समस्याओं के समाधान की नयी दिशा का मार्ग खुल गया।

सन् १९५२ की बात है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में विनोबा-जी की पद्म-प्राप्ति चल रही थी। तब मगरीठ गाँव के निवासी उनके पास आये और अपनी सारी भूमि भूदान में दे दी। यहाँ से ग्रामदान-आन्दोलन का जन्म हुआ और मगरीठ को भारत का प्रथम ग्रामदान होने का थेव मिला।

उस बात को अब १४ वर्ष हो गये। यह आन्दोलन देश के सभी भागों में दूर तक फैला और आज देशभर में ( ता० ३१ अक्टूबर '६६ तक ) २९,०९१ ग्रामदान हो गये हैं। इस बीच ग्रामदान के विचारों में कुछ राशोधन विया गया। मुलभ ग्रामदान के नाम से वही सदोधित हृषि आज चल रहा है। हर तरह के लोगों के लिए वह आसान लगता है।

गाँवों में आमूल परिवर्तन करना ग्रामदान का लक्ष्य है। आज गाँव घेरल पहनेभर को गाँव है। असल में वह कुछ हीपड़ों के मुण्ड के सिवा कुछ नहीं है। अलग-अलग जातियों, गवीणंताओं और प्रत्येक वर्गों के

गाँव को एक ग्रामसभा बनानी होनी है। गाँव के सभी बालिग स्त्री पुरुष उसके सदस्य होंगे। ग्रामसभा अपने अध्यक्ष और मत्री का चुनाव बरेगी, और गाँव बड़ा होगा तो एक वायंकारिणी समिति वा भी गठन बरेगी। गाँव वा सारा व्यवहार ग्रामसभा दरेगी, गाँव की आर्थिक प्रगति वो योजना ग्रामसभा बनायेगी, लोगों की नैतिक उन्नति वा खयाल ग्रामसभा रखेगी, अनाय, विधवा, बीमार आदि ये इए जरूरी व्यवस्था भी ग्रामसभा ही करेगी। माता की तरह ग्रामसभा गाँव के प्रत्येक व्यक्ति का खयाल रखेगी। वही गाँव वी वास्तविक सरकार है। यह सारा बारोबार चलाने के लिए ग्रामसभा को बैठक समय-समय पर हुआ करेगी।

इस राज्य में ग्रामदान-कानून बन गया है। उसमें सौ या उससे अधिक आवादीयाले गाँव को ग्रामसभा को ग्राम-पचायत के सारे अधिकार देने की व्यवस्था है। इससे पचायती राज को दहुल बड़ा आधार मिलता है।

समस्त ग्रामीणों की सामूहिक इच्छा का एकमात्र प्रतिनिधित्व ग्राम सभा करेगी। गाँव के बाहर के सभी मामलों में गाँववालों की तरफ से ग्रामसभा ही व्यवहार करेगी। इससे होगा यह कि लोगों वो साहूकार, व्यापारी, सरकार, कर्मचारी, पुलिस आदि के साथ अबेले-अबेले उलझना नहीं पड़ेगा। इस तरह से लोग परेशानी और चरवादी से छुटकगरा पायेंगे, जिनसे वे आज तबाह हैं।

ग्रामसभा के सारे निर्णय सर्वसम्मति से होंगे। सर्वसम्मति न हो सकती हा, तो सर्वानुमति से या भारी बहुमत से होंगे। क्योंकि भूमि-व्यवस्था, ग्रामकोप का विनियोग आदि बड़े-बड़े मामला में सबका एक-राय होना जरूरी है। इसी तरह से ग्रामसभा को दूसरे-दूसरे नियम और कानून भी बनाने हाएंगे।

हमारे गाँवों के लिए दलबन्दी एक महान् अभियाप है। इस ग्राम में दो-दो, तीन-तीन दल बन गये हैं। उनके झगड़े के कारण गाँववालों का जीना दूसर हो गया है। इस दलबन्दी में राजनीतिक पक्षों ने आग में

पुआल का काम किया है। आज के लोकतन्त्र में वहमत से निर्णय करने की जो पढ़ति चालू है, उसने इस दलबन्दी को और प्रोत्साहन दिया है। इस दलबन्दी की जगह गाँव को एकता में बांधे रखने का और गाँव की दाकित दिन-ब-दिन बढ़ाने का काम सर्वानुमति से निर्णय करने की पढ़ति अपनाने से ही सम्भव होगा। जहाँ-जहाँ भी यह पढ़ति अपनायी गयी, वहाँ इसका अच्छा परिणाम देखने में आया है। इसके कारण लोगों में धीरज बढ़ता है और दूसरों के दृष्टिकोण का आदर करने की वृत्ति पैदा होती है।

### ग्रामकोष

प्रत्येक ग्रामदानी गाँव वो अपना एक ग्रामकोष बनाना होगा। उसमें गाँव का प्रत्येक किसान अपनो उपज का ४०वाँ भाग देगा। जो खेती के बदले दूसरे धंध करते हैं, उन्हें अपनी आय का ३०वाँ हिस्सा नकद देना होगा या उतना थम देना होगा। इस हिस्से का प्रमाण घटाने-बढ़ाने का अधिकार ग्रामसभा को होगा। ग्रामकोष का विनियोग ग्रामसभा करेगी। शृंग-मुघार के लिए, ग्रामोद्योगों के लिए और दूसरे-दूसरे विकास-कार्यों के लिए उसका उपयोग हो सकता है। उस कोष से गाँव के लोगों वो मामूली ब्याज पर कर्ज भी दिया जा सकता है। बूड़ों, विद्याओं, अशक्त और अनाय आदि वो भी इस कोष से सहायता दी जा सकती है।

सरकार वो अपना वाम चलाने के लिए कर आदि के रूप में कुछ आय का जरिया भी खोजना पड़ता है। ग्रामकोष ग्राम-सरकार वा घजाना है। लेकिन सरकार में और ग्रामसभा में एक फर्ज है। सरकारें दबाव में कर (टैक) बमूल बरती हैं, परन्तु ग्रामकोष में लोग प्रेम से और स्वेच्छा से अपना हिस्सा देंगे।

आज वो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था वो नीव में गप्ट की वृत्ति है। इसमें हर दोई दूसरे का जरा भी व्याल न करते हुए अपने लिए बटोरने वो बोगिया बरता है। नयी व्यवस्था—उसे चाहे सभी जवाद

कहें या सर्वोदय—तभी सम्भव है, जब वि लोग आपस में घाँट-घूँटकर जीने लगें। उसके मूल सिद्धान्तों में 'दान' एक प्रमुख तत्त्व रहेगा।

दान सतत जारी रहना चाहिए। प्रत्येक को न वेवल एक बार अपनी भूमि का हिस्सा देना है, बल्कि हमेशा कुछ-न-कुछ देते ही रहना है। श्रमिक श्रम देगा, साहूकार धन देगा, शिक्षक और कर्मचारी अपना बौद्धिक श्रम दे सकता है। इस प्रकार ग्रामकोष एक नयी भावना और नयी दृष्टि का प्रतीक होगा।

जब इस प्रकार गाँव के कुल भूमिवानों के ७५ प्रतिशत लोग तथा कुल आबादी के ७५ प्रतिशत लोग उपर्युक्त चारों शर्तों को मान्य करके सकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और गाँव वी कुल जमीन के बम-से-कम ५१ प्रतिशत अश का स्वामित्व ग्रामसभा को सौंप दिया जाता है, तब वह गाँव ग्रामदान घोषित होता है।

इस पर और भी कई कानूनी कारंवाइयों करनी होती है। वह सब पूरी होने पर बानूनन् वह ग्रामदान मान्य होगा। यह सब करने-कराने के लिए तभी राज्यों में भूदान-बोड़े या ग्रामदान-बोड़े बने हुए हैं। ●

## ग्रामदान, सरकार और योजना

स्वराज्य मिलने के बाद देश के व्यवस्थित विकास के लिए अखबों स्पष्ट खबरें किये गये। अनेक बड़े-बड़े और महत्त्वपूर्ण कारखाने खोले गये, बड़े-बड़े बौद्धि बौद्धि गये, हजारों मील लम्बी सड़कें बनायी गयी और रेलवे लाइन बिछायी गयी। असल्य स्कूल खुले और अस्पताल शुरू हुए। तालाब और कुएं खोदे गये। पिछले सौ सालों में जितना काम हुआ था, उससे बहुत गुना अधिक काम इन बीस सालों में हुआ। फिर भी देश भी बुनियादी समस्याएँ ज्यो-न्यो-त्यो बनी हुई हैं।

जो भी योजना बनायी गयी, वह सब सतही थी, ऊपर-ऊपर की थी। केवल शाहरों को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी। यद्यपि देश के ८५ प्रति-शत लोग देहातीं में बसे हुए हैं, फिर भी उनकी ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। विनोबाजी अक्सर कहते हैं कि पानी ऊपर से छन-छनकर नीचे जितना आता है, उतना ही नीचेवालों को मिल सकता है। किसी चीज पर पानी ढालें तो वह छनकर नीचे तभी निकलेगा, जब क्षपरी सतह पूरा-भूरा पानी चूस चुकती है। उसी तरह हमारी योजना में भी हुआ यह वि क्षेत्र स्तर के लोगों पर ही खूब सारा धन खच किया गया। योजना बनानेवालों को आशा थी कि ऊनवर कुछ तो नीचेवालों को मिल ही जायगा। लेकिन इस तरीके का परिणाम यह हुआ कि धनी अधिक धनी बनते गये, और गरीब जहाँ के तहाँ रह गये। बल्कि और गरीब बन गये।

क्षपरी स्तर के लोगों ने अपने साधारण व्यावहारिक अनुभव के बल पर योजनाओं का पूरा लाभ उठा लिया। जिनके लिए योजना थी, उनका

उस योजना में कोई दखल नहीं था, न योजनाओं को कार्यान्वित करने में उनका हाथ रहा। सब कुछ नौकरशाही के हाथ में था।

हमारे यहीं अपने ढग वा लोकतन्त्र है। जब तक चलता है, वह अच्छा ही है। लेकिन वह दूर तक जानेवाला नहीं है। पाँच वर्षों में एक बार लोग बोट देते हैं। फिर दूसरे चुनाव तक देश की योजना में और प्रशासन में उनका कोई हाथ नहीं रहता, वे या तो खाली आस लगाये बैठे रहे या बैठे-बैठे झुँझलाते रहे।

ग्रामों की उन्नति के लिए लाखों, करोड़ों रुपये खर्च किये गये, लेकिन बालू में पानी की तरह सारा धन न जाने कहीं बिला गया। 'अपना-अपना भला देखो' वाला वहीं पुराना सिद्धान्त चालू रहा। इसलिए हर कोई इसी ताक में रहने लगा कि सरकारी सहायता का अधिक-से-अधिक लाभ उसे कैसे मिले।

इस स्थिति को सुधारने के प्रयत्न में पचायती राज की स्थापना हुई। लेकिन वह भी अपने उद्देश्य को सिद्ध करने में बहुत सफल नहीं हो सका।

इसलिए बिनोबाजी के शब्दों में, यह बैसा ही हुआ, जैसे गाड़ी के आगे घोड़ा बाँधा जाय। जो सत्ता नयी दिल्ली, लखनऊ, बम्बई में केन्द्रित थी, उसके कुछ टुकड़े गांवों में बौट दिये गये, उस सत्ता पर गाँव के धनी और उसके कुछ टुकड़े गांवों ने अपना कब्जा जमा लिया। और उसका उपयोग साधारण शिक्षित लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। सम्पन्न लोगों अपने ही कमनसीब भाइयों का शोषण करने में बर लिया। सम्पन्न लोगों के हाथ में गरीबों को कसने वा जो शिकजा पहले से ही था, उसकी रही-सही कसर इस सत्ता ने पूरी कर दी।

सबसे पहले होना यह चाहिए या कि लोगों वी दृष्टि और बातावरण को बदला जाता, ताकि शोषण का शिकजा ढीला पड़ता। तभी पचायती राज से लोगों का कल्याण हो सकता था।

स्वराज्य वी बुनियाद में लाखों देशवासियों के त्याग का पुण्य था, इसीलिए उसमें कुछ पवित्रता आयी थी, शक्ति निर्माण हुई थी। पचायती राज भी तभी सच्चा मिठ होता, जब वि उसके पीछे त्याग की प्रेरणा होती।

आज उस त्याग और नये दृष्टिकोण का अवसर ग्रामदान से प्राप्त होता है।

भूमिवान् और भूमिहीन आपस में भूमि लेते देते हैं, तो दोनों के बीच सहयोग और भैत्री स्थापित होती है और उससे गाँव में सद्व्यवनापूर्ण नया और ताजा वातावरण निर्माण होता है। निजी मालिकी खत्म होती है। अर्थात् व्यक्ति-व्यक्ति की अपार गरीबी खत्म होती है।

कई राज्यों में ग्राम-पचायत का आकार बहुत खड़ा है। एक एक पचायत की जनसंख्या तीन हजार या उससे भी अधिक है। उसके अन्दर १० से २० तक गाँव होते हैं। यह सच्ची ग्राम-पचायत नहीं हो सकती। किसी भी मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए दस-बीस गाँवों के लोग कभी एकत्र हो नहीं सकते। हाँ, पचायत के नाम पर हर गाँव के एक-एक या दो-दो प्रतिनिधि एक साथ बैठ सकते हैं और राज्य-सरकार से प्राप्त सुविधाओं को आपस में बाँट ले सकते हैं। परिणामतः माँव के बाकी सब लोगों का पचायत के कामों से न कोई सम्बन्ध आता है, न उसकी उनको चिंता रहती है। ग्राम-पचायत भी पटना या लखनऊ की विधानसभा की तरह ही जनता से अलग पड़ जाती है।

सच्ची ग्राम-पचायत तो एक ही गाँव की बन सकती है, जहाँ के लोग एक साथ बैठ सकते हैं और सब मामलों का प्रबन्ध कर सकते हैं। तभी स्वराज्य का सम्बन्ध सीधे उनके जीवन से जुड़ेगा, उनके नित्य जीवन के आधार पर स्वराज्य खड़ा होगा और उनका अपना स्वराज्य होगा। लोग जब इस प्रवार ग्राम-जीवन के हर मामले में प्रत्यक्ष भाग लेने लगेंगे, तभी लोकतन्त्र वास्तविक होगा, असली होगा।

ग्रामदानी गाँव की ग्रामसभा से पचायती राज की ही नहीं, बल्कि स्वराज्य की ही वास्तविक नीव पड़ती है।

ग्रामदान वा मतलब है, ग्राम-स्तर पर गाँव की वास्तविक योजना का प्रारम्भ। ग्रामसभा को गाँव में अनाज की पैदावार बढ़ाने की योजना बनानी होगी, ताकि फल, दूध आदि सभी खाद्य पदार्थों में गाँव स्वावलम्बी

हो। गौव के लोगों को रोजी देने वी दृष्टि से छोटे-छोटे ग्रामोद्योग चुड़े करने होंगे और वहाँ के कच्चे माल का उपयोग वही करने का प्रबन्ध बरता होगा। यरीद-विश्री का सगठन सहकार-पद्धति से बरता होगा। ऐसी तालीम का प्रबन्ध करना होगा कि बच्चे उत्पादनक्षम और उपयोगी नागरिक बन जायें। स्वास्थ्य, सफाई, त्योहार, उत्सव, विवाह और आपसी मतभेद आदि जितने भी प्रसंग है, ग्रामसभा को योजना बनावर अपनी ओर से उन सबकी ठीक-ठीक व्यवस्था करनी होगी। नशा और अन्य व्यसनों पर पावनी लगाने की बात भी सोचनी होगी।

आज गाँवों में स्वतन्त्रता नाममात्र की है और उनमें अभिक्रम-शक्ति नहीं ही नहीं। सारी शक्ति ऊपर केन्द्रित हो गयी है। ग्रामदान से ग्राम-वराज्य की नींव पड़ती है, जिसमें गाँवों को अपने मामले में आवश्यक प्रबन्ध करने की अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता रहेगी और ऊपर का हस्तक्षेप कम-से-कम रहेगा। सरकार के पास भूमि-सम्बन्धी कागजातों में करोड़ों व्यक्तियों के नाम नहीं रहेंगे, बल्कि गौव का एक ही नाम रहेगा। सरकारी कागजों में सिर्फ गौव के नाम रहेंगे और यही लिखा रहेगा कि उस गाँव में इतनी जमीन है, और गाँव के नाम पर एक ही पट्टा रहेगा।

इसका प्रत्यक्ष लाभ यह होगा कि गौव के लोगों वो रेवेन्यू विभाग, रजिस्ट्रेशन विभाग और सिविल अदालतों से मुक्ति मिल जायगी। भूमि-सम्बन्धी सारे कागजात ग्रामसभा में रहेंगे। लोगों वे बद्जे वी जमीन में कोई रद्दोबदल होता है, तो वह वही दर्ज होगा।

जो भी विवाद माझगड़ा खड़ा होगा, उसे गाँव में ही शान्ति से, समाधान-कारक ढग से निपटाने का प्रयत्न गौववाले धुद करेंगे। गौव से बाहर पुलिस या अदालत वी शरण में नहीं जायेंगे। गाँव वी सम्पत्ति वी बरबादी का एक बड़ा जरिया मुबदमेवाजी है। हजारों गाँवों में, जहाँ ग्रामदान हो गये हैं, बहुत हद तर मुबदमेवाजी घतम हो गयी है। हर गाँव में कई शान्ति-सेनिव और शान्ति-सेवक रहेंगे और वे गौव के अन्दर शान्ति पायम रखने और अपराध न होने देने वा प्रयत्न करेंगे।

गांव में विभिन्न ग्रामोदयोग खड़े किये जायेंगे। इससे गांव बड़े-बड़े व्यवसायों के फादे से छूट जायेंगे। इसके बारे में खादी-प्रकरण में विस्तार से चर्चा की गयी है।

आज लोगों को हर बात बे लिए सरकार का मुँह ताकने की आदत पड़ गयी है। वे समझते हैं कि सरकार से जो कुछ मिलता है, सब एकदम मुफ्त दान मिलता है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। सरकार जो भी खर्च करती है, उसका पाई-पाई लोगों से करो के रूप में वसूल कर लेती है। खासकर अप्रत्यक्ष कर के रूप में, जैसे कपड़ा, चीनी, माचिस आदि वस्तुओं की एक्साइज ड्यूटी आदि लगाकर। उस धन का बहुत बड़ा भाग उन सरकारी नौकरों पर खर्च होता है, जो ये कर वसूल करने और खर्च करने का काम करते हैं। सरकार हमसे यदि एक रूपया वसूल करती है, तो उसमें से लगभग ४० पैसे तो प्रशासन-व्यवस्था पर ही खर्च कर देती है। खर्च करनेवाले लोग उसमें से कितना हजार कर जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीकेदार आदि का मुनाफा बगैरह बाद होने के बाद लोगों तक १०० पैसे में से बेबल ३० पैसेभर का लाभ पहुँच पाता है।

इसके विपरीत, यदि ग्रामसभा कर वसूल करती है और खर्च करती है, तो रूपये में कम-से-कम ९० पैसे का लाभ गांववालों को मिल सकता है। इस तरह से सरकारी काम में होनेवाले भारी अपव्यय को रोकने की शक्ति एकमात्र ग्राम-स्वराज्य में ही है।

### प्रखण्डदान

प्रखण्डदान का नया विचार देश को ग्राम-स्वराज्य की ओर एवं कदम आगे ले जानेवाला है। सिचाई, छोटे उद्योग, माध्यमिक शिक्षा आदि वर्ड विकास-नार्य हैं, जिनके आयोजन की इकाई गांव से बड़ी होनी चाहिए। प्रखण्ड प्रशासन की भी एक प्रमुख इकाई है। जब प्रखण्ड के सारे गांव, या लगभग सब गांव ग्रामदान हो जाते हैं, तो प्रखण्ड-स्तर की पचायत-समिति

अथवा अचल-पचायत् प्राम-स्वराज्य के सिद्धान्तों के अनुसार काम वर सबेगी ।

तब लोगों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर योजनाएँ बनायी जा सकेंगी और वह भी लोग स्वयं बना सकेंगे, फिर उन्हें अमल में लाने के लिए आवश्यक एकता और उत्साह भी ग्रामदानी गाँव के लोगों में पैदा किया जा सकेगा ।

इस समय तक ( अक्टूबर '६६ के अन्त तक ) ६७ प्रखण्डों का दान हो चुका है और शीघ्र ही सौ प्रखण्ड पूरे हो जायेंगे, ऐसा दीखता है । कई स्थानों पर जिला-दान का विचार भी लोगों के ध्यान में आने लगा है और विहार के सर्वोदय-कार्यकर्ताओं ने पूरे विहार प्रान्त वो ही ग्रामदान में लाने का शक्ति किया है ।

हम इस बात की वल्पना कर सकते हैं, जब कि लाखों गाँव ग्रामदान में आ जायेंगे, तब उसका असर राज्य के प्रशासन पर और राष्ट्र की योजना पर पड़े बिना नहीं रहेगा । इससे दोनों बा स्वस्थ जड़-मूल से बदल जायगा । उसमें दलित और पीडित बहुजन-समाज भा हित प्रधान बनेगा । यही ग्रामदान का मुख्य लक्ष्य है ।



## ग्रामदान : प्रतिरक्षा साधन

अक्टूबर १९६२ की बात है। लद्दाख और नेका क्षेत्र से चीनी सेनाएँ भारत में पुस आयी थीं। सारा देश व्याकुल हो उठा था। उस समय विनोबाजी पश्चिम बगाल में थे। जो ही युद्ध की बात सुनी, फौरन् उन्होंने उद्घोष किया कि भारत की जनता की सुरक्षा का सर्वोत्तम उपाय एकमात्र 'ग्रामदान' है।

वहुतों को यह बड़ा अजीब और नया लगा। लेकिन विनोबाजी के लिए यह नयी बात नहीं थी। इससे पहले भी सन् १९५७ में मंसूर के पास एलवाल में ग्रामदान पर एक राष्ट्रीय परिपद हुई थी। उसमें विनोबाजी ने इस बात पर जोर दिया था कि ग्रामदान को देशभर में शीघ्र फैलाना चाहिए, जिससे देश में विदेशी आक्रमण को रोकने की शक्ति पैदा हो सके।

उन्होंने कहा था "आज हमारी योजनाएँ यह मानव र बनायी गयी हैं जि दुनिया मे शान्ति बनी रहेगी। लेकिन यदि वही बोई विस्फोट हो जाय, या भारत किसी सधर्य में फेंस जाय, तब बया होगा ? हमारा चिदेशी व्यापार ठप हो जायगा, उसका प्रभाव आन्तरिक व्यापार-व्यवसाय पर भी पड़ेगा। हमारी सारी योजनाएँ धरी रह जायेंगी। सधर्य या युद्ध के दिनों में हमारो पचवर्षीय योजनाएँ नाकाम सावित होंगी।"

सन् १९६५ में भारत का पाकिस्तान से जो सधर्य हुआ, वह वहुत साधारण था, फिर भी हमारी अर्ध-व्यवस्था पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उससे हमें इस बात की पूरो-पूरी पूर्वसूचना मिल गयी कि यदि बड़ा युद्ध छिड़ता है या विश्व-युद्ध होता है, तो उसका वैसा बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

व्यापार-व्यवस्था टूटती है तो लोगों तक उनकी नित्योपयोगी चीजें पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। इससे दुष्कर बढ़ेगा, असतोष फैलेगा और लोगों का नीति धर्म और सदाचार कल्पित हो जायगा। यदि गांव और प्रखण्डों का ग्रामदान हो जाता है, तो सहज ही खाना, कपड़ा आदि नित्योपयोगी वस्तुओं के बारे में वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, व्यापार और सचार-व्यवस्था के टूटने का असर उन पर बहुत ही कम पड़ेगा।

दूसरी बात यह कि आज देश में शान्ति कायम रखने के लिए बहुत बड़ी सहमा में पुलिस की आवश्यकता है। कई बार तो जब पुलिस की शक्ति कम पड़ती है, तब सेना बुलानी पड़ती है। ग्रामदान हो जाता है, तो गांव के लोगों में पुलिस और सेना के बीच ही, खुद अपने क्षेत्र की शान्ति बनाये रखने की सामर्थ्य आती है। इससे पुलिस और फौज की ज़रूरत नहीं रह जायगी और इनका उपयोग वही और हो सकेगा।

वास्तविक सुरक्षा तभी सम्भव है, जब न केवल पूरा राष्ट्र, बल्कि उसका प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक गांव अम्ब के मामले में स्वावलम्बी होगा। यह अत्यावश्यक है। विनोबाजी का आग्रह है कि हर गांव में हमेशा दो वर्षे के लिए पर्याप्त अम्ब का सप्रह रहना ही चाहिए। इससे न केवल गांव की, बल्कि पूरे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति गुदूँह हो जाती है। यह सब ग्रामदान से ही सम्भव हो सकता है।

आज भारत को चीन से डर है। चीन का भय खाली सीमावर्ती क्षेत्र में ही नहीं है। उसकी सम्भावना गांव-गांव में है। चीन अपनी सेना के बल पर आरे राष्ट्र को या उसके किसी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में नहीं ले सकता। चीनी नेताओं की ऐसी कोई योजना है भी नहीं। वे चाहते हैं कि भारत में साम्यवादी शान्ति हो, ताकि शान्ति के बाद स्थापित होनेवाली साम्यवादी सरकार चीन के मातहत रह सके।

सीमा प्रदेश में सेना के आक्रमण को रोका जा सकता है, लेकिन विचार के आक्रमण को नहीं रोका जा सकता। “जब तक देश में गरीबी है, भूख है, अन्याय है, तब तक जनता के मन में हिस्क क्षान्ति का आवधंण शोषण है,

बना रहेगा।" विनोबाजी की भविष्यवाणी के अनुसार उस परिस्थिति में "गांव-गांव में चीन और अमरीका खड़े होंगे।"

चीन और अमरीका दुनिया को अपनी-अपनी भर्जी के अनुसार आकार देना चाहते हैं और उस आकार-भेद को लेकर ही उन दोनों के बीच आज जानलेवा दुश्मनी है। चीनी नेता सामाजिक और आर्थिक समता लाना चाहते हैं। इस समता के लाने में व्यवित की स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र मिट जायें, तो उनको उसकी चिता नहीं है। अमरीका के नेता व्यवित की स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र पर ज्यादा जोर देते हैं और उसमें आर्थिक समता न भी स्थापित हो और शोपण चालू ही रहे, तो भी वे चिता नहीं करते। दोनों भारतीयों पर अपना असर ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार लहाव के कई हजार वर्ग किलोमीटर भू-भाग पर चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है, उसी प्रकार अमरीका हमारी अर्थनीति में कुछ महत्वपूर्ण कब्जा जमाये रखना चाहता है।

मनुष्य के भावी कल्याण की दृष्टि से आर्थिक समता, व्यक्ति-स्वातंश्य, लोकतन्त्र—ये सारे मूल्य बहुत महत्व के हैं। हम इन्हें सर्वथा परस्पर विरोधी नहीं मानते, जैसा आज अमरीका और चीन मानते हैं। यदि अहिंसक साधनों का उपयोग वरते हैं, तो तीनों की स्थापना एक साथ हो सकती है। ग्रामदान गांव का हित-विरोध व्यावहारिक रूप में और सद्भावनापूर्वक मिटा देता है, इसके कारण अमरीका या चीन के बारे में जो भी पूर्वधारणा रही हो, वह सब एक ही झटके से उठ जाती है।

इस प्रवार ग्रामदान वास्तव में प्रतिरक्षा वा एक प्रमुख साधन है। विनोबाजी ने एक जगह कहा था : "हमारा यह दावा नहीं है कि एकमात्र ग्रामदान ही देना को बचानेवाला है। देश की रक्षा के लिए और भी कई चीजें आवश्यक हैं। किर भी दावे से हम इतना तो कहते ही हैं कि यदि ग्रामदान वा आधार न दिया जाय, तो वे दूसरे सारे साधन कुछ भी काम नहीं दे सकेंगे।"



## कुछ समस्याएँ

हमारे गांवों में तीन प्रकार के लोग रहते हैं । भू-स्वामी, २ गरीब किसान और मजदूर, और ३ व्यापारी और साहूकार । गांव के सामूहिक हित की दृष्टि से तीनों प्रकार के लोगों के पास कुछ-न-कुछ उपयोगी सम्पत्ति है । भूमि-स्वामियों के पास भूमि है, मजदूरों के पास थम है, व्यापारी और साहूकारों के पास धन है, व्यवस्था-शक्ति है । ये सभी चीजें गरीब के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक हैं । इसलिए ग्रामदान में इन तीनों को मिलाने का प्रयत्न किया जाता है ।

कुछ बड़े जमीदार ग्रामदान में शामिल होने से डरते हैं । वे अपने बच्चों की पढाई, लड़कियां वे विवाह आदि वई बातों का बन्धन अपने ऊपर महसूस करते हैं और इसीलिए अपनी कीमती जमीन वे छोड़ नहीं पाते हैं । उनका यह भय दूर करने के लिए ही ग्रामदान को 'सुलभ' बनाया गया । इस सुलभ ग्रामदान में उनको गरीबों के लिए अपनी भूमि का अत्यल्प भाग, यानी बीसवाँ हिस्सा देना होता है । ग्रामदान वे महान् लक्ष्य की सिद्धि में यह उनका वरणाप्रेरित छोटा-ना रथाय है ।

मजदूरों वा भय दूसरी तरह वा है । वहियों को लगता है कि मजदूरों से कुछ भी वाम लेना है तो उनको गरीब और अज्ञानी बने रहना चाहिए और जमीदारों के पेरा के नीचे दबे ही रहना चाहिए । यह धारणा सदियों से चली आयी है । एक जमाने में गुलामी ( दास-प्रथा ) का रिवाज पा । से चली आयी है । मजदूरों वो पनु की तरह रखें और उनके साथ जानवर के समान व्यवहार वरे, तभी वे पाम बरेंगे । लेदिन अब वे सारे मूँझ विचार बदल गये हैं । तिसी भी सम्पत्ति और गमूढ़ राष्ट्र में जावर देखिये, लोग

थ्रमिकों से वरावरी का व्यवहार करते हैं। वहाँ के थ्रमिकों का रहन-सहन उत्कृष्ट है, वे काफी पढ़े-लिखे होते हैं। आज जो नये-नये यत्र बने हुए हैं, उनको तो शिक्षित थ्रमिक ही चला सकते हैं, जिनसे व्यापक रूप से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है।

इन राष्ट्रों के पूँजीपति भी अब समझने लगे हैं कि थ्रमिकों को यदि मुखी और सतुर्प रखा जाय और उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाय, तो वे ज्यादा उत्पादन करते हैं और अच्छा माल तैयार करते हैं। अब पुराने सारे विचारों को छोड़ने का समय आ गया है।

थ्रमिकों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने परिवार के ही सदस्य की तरह समझना चाहिए। गाँव के दूसरे लोगों की तरह ही उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें सुधी और सम्पन्न बनाना चाहिए। इससे गाँव के सब लोगों को नयी वैज्ञानिक पद्धतियों या लाभ मिल सकेगा और उत्पादन वर्ड गुना अधिक बढ़ाया जा सकेगा। जमीदार धनी पुरानी धारणाओं से चिप्ते रहेंगे तो युद्ध भी वर्ड अच्छी बातों से बचिन रह जायेंगे, जनसाधारण को प्रगति को तो रोकेंगे ही।

ध्यापारों और माहूवार भी अवसर प्रामदान से ढरते हैं। माहूवारों को ढर है कि वर्जे में उन्होंने जो धन दिया है, वह वही ढूब न जाय! उनपरोक्त लगता है कि प्रामदान में जमीन पर व्यक्तिगत मालिकाना हूँ नहीं रह जाता है, और विसान जमीन बेच नहीं सकेंगे या रेहन नहीं रख सकेंगे, तो इत्तमा कर्जा वापस अदा यैसे होगा? लेकिन दरअमल प्रामदान से उनका पैसा अधिक मुरक्कित होता है। वर्जे की मारी लेन-देन प्रामदान के मार्पण दूआ न रोती। वर्ज घूल परने का भार प्रामदान पर रहता है। अतएव यह जागती से गम्भीर में आने जैसी बात है कि व्यक्ति-व्यक्ति के साथ व्यवहार परने की अनेक यह ग्यिनि साहूनारा के लिए अधिक मुविधा-जनन है।

कृपि, व्यापार, या दूकानदारी आदि कोई दूसरा धन्या करना चाहिए। आज जिनके पास कोई धन्या नहीं है, उन्हें कोई न-कोई धन्या अपना लेना चाहिए। उधार दें, तो बिना ब्याज के देना चाहिए। हाँ, हिसाब-किताब बग़रह या जो कुछ नुकसान बग़रह होता है, उस दृष्टि से मामूली खर्च ले सकते हैं।

व्यापारियों को डर है कि ग्रामदान में उनका मुनाफा छिन जायगा। लेकिन ग्रामदान से तो उत्पादन बढ़ता है, और जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता है, वैसे-वैसे रूपरेखाएँ का व्यवहार भी बढ़ता है; इससे अतिरिक्त मुनाफा लिये बिना भी काफी धन बचने की गुजाइश रहती है। व्यापारी और साहूकारों को ग्रामदान में शामिल होना चाहिए और ग्रामसभा, ग्रामकोष, सहकारी समितियाँ, ग्राम-भण्डार आदि स्थानीय संस्थाओं के सचालन में और उनके विकास में अपनी बुद्धि, प्रतिभा और अनुभव का लाभ देना चाहिए।

कई जमीदार तो गाँव से बाहर रहते हैं। उनको भी ग्रामदान में शामिल होना चाहिए। ग्रामदान-कानून में इसकी अनुमति है।

अकसर सवाल उठता है कि शादी-ब्याह में, नुकता, शाद आदि में कौसे क्या होगा? जमीन बेचें नहीं, रेहन नहीं रखें, तो हर कोई यह सारा भार कौसे उठा सकेगा? लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि जमीन बेचकर या रेहन रखकर कर्ज़ लेना आत्महत्या के समान है। विनोदाजी बढ़ाव या रेहन रखकर कर्ज़ लेना आत्महत्या के समान है। जोरो से ठण्ड पड़ने लगी। उसके पास एक ही कम्बल था। रात हो गयी। जोरो से ठण्ड पड़ने लगी। उस समय उसे एक था। उससे ठण्ड से पूरा बचाव नहीं हो पाता था। उस समय उसे एक बढ़िया विचार मूँजा। उसने उस कम्बल में आग लगा दी। सेंकने बैठ गया। काफी गरमी मिली। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वह सुख चन्द मिनट ही मिल सका। ज्यो ही कम्बल जलकर राख बन गया, तब पहले से ज्यादा ठण्ड लगने लगी और वह ठिकरकर मर गया।

शादी, शाद बग़रह के लिए जमीन बेचना कम्बल जलावर गर्मी

प्राप्त बरने जैसा ही काम है। इससे अगली पीढ़ी को भी जीविका के साधन से वचित होना पड़ता है। इसलिए ऐसे खर्चों के लिए कोई दूसरा ही जरिया योजना होगा। फिर ये खर्च भी धीरे-धीरे घटाने होंगे। हमारे जैसे गरीब देश पर ये सारे बोझ बहुत अनुचित हैं। इस बारे में ग्रामदानी गाँव मिलकर विचार कर सकते हैं और ऐसे खर्च कम बरने का निर्णय ले सकते हैं। सामूहिक रूप से कई शादियाँ हो सकती हैं। इससे खर्च दबेगा और विशेष आनन्द भी मिलेगा।

कुछ लोगों की कल्पना है कि ग्रामदान होने के बाद सारी जमीन गाँव की हो जाने से सामूहिक खेती ही बरनी पड़ेगी, और सारे किसान मिल-मजदूरों की तरह हो जायेंगे। इसी कारण वे ग्रामदान वो नापसद करते हैं। यह भय निराधार है। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ग्रामदानी गाँवों में जमीन हरएक परिवार में छोटी जाती है। जबरदस्ती सामूहिक खेती करने की बात नहीं है। ग्रामसभा में सब मिलकर चर्चा बरतते हैं, सर्वसम्मति से या सर्वानुमति से निर्णय लेते हैं और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता कायम रहती है।

वहाँ, यह हो सकता है कि विसान युद्ध ही मिल-जुलवर खेती करना चाहें, उसमें उनको लाभ दिखता हो और व्यक्तिगत खेती छोड़कर सामूहिक खेती करने का तय बरें। वैसा बे कर सकते हैं।

आर्थिक समता का सवाल बहुत प्रमुख है। जमीन का बेवल दीसर्वा हिस्सा बैठता है, तो फिर समानता कैसे होगी? आज तक जो भयकर विषमता रही है, ग्रामदान के बाद भी वह बैसी ही बनी रहेगी। समता एकदम सधनेवाली चीज नहीं है। वह तो अपने ढग से आयेगी। इसमें समय लगता है। विनोदाजी ऐसे पर्वतारोहण की उपमा देते हैं। ऐसे भी निर्भीक पर्वतारोही होते हैं, जो छड़ी चट्टान और पत्थरों पर सीधे छड़कर छोटी पर पहुँच सकते हैं। ऐसिन ऐसे लोग इने गिने ही होते हैं। और दूसरी ओर इजीनियर नीचे से छोटी तम मड़क बनाते हैं, जिये पर चल्जे से लेवर यूँ तक सब आराम से चलते-चलते छोटी पर पहुँच सकते हैं। यह

रास्ता लम्बा होता है, इसमें जरूर समय कुछ अधिक लगता है, लेकिन यह रास्ता सबके लिए आसान है, सुलभ है। प्रामदान इसी सड़क के समान है, जो सबको आसानी से चोटी पर पहुँचाती है। इस पर हर कोई चल सकता है और चलते-चलते निश्चित ही मजिल पर पहुँच सकता है।

उसमें पहला काम है, भूमि के एक छोटे हिस्से का वितरण। सुख-दुःख से एक-दूसरे से कधा मिलावर, परस्पर हाथ बंटाते हुए जीने का आरम्भ यहाँ से होता है। उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न भी किये जायेंगे। जिनके पास बहुत कम जमीन रह जायगी, उनको दूसरे-दूसरे उद्योग भी दिये जायेंगे। बहुत कम जमीन रह जायगी, वाकी किसान भी अपनी भूमि से अधिकाधिक इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। वाकी किसान भी अपनी भूमि में कौशिश करेंगे और धीरे-धीरे इस प्रकार कुछ ही वर्षों में उपज लेने वीं कौशिश करेंगे और धीरे-धीरे इस प्रकार कुछ ही वर्षों में अपनी भूमि में कुछ अन्य लोग वो शामिल कर लेने लायक उनकी स्थिति हो जायगी और वे ऐसा बरना चाहेंगे भी। यह प्रक्रिया बराबर चलती रहेगी।

विनोबाजी इस यात की ओर बराबर ध्यान दीचते रहते हैं कि आनेवाली पीढ़ी आर्थिक समता और सामाजिक न्याय के घारे में हमसे अधिक तीव्रता से सोचनेवाली है कम नहीं। हमारे इस बाम वो लोग अधिक बेग और उत्साह से आगे बढ़ानेवाले हैं। समय की गति हमेशा आगे की ओर रहती है, पीछे मुड़ती नहीं है। इसलिए जल्दी या धीरे यह उद्देश्य प्राप्त होकर रहनेवाला है, वर्णोनि ऐतिहासिक परिवर्तन की गति दिन-दिन तेज होती जा रही है।



## ग्रामदान-आन्दोलन की स्थिति

ग्रामदान-आन्दोलन का आरम्भ मारीठ से हुआ । तब वह बहुत छोटा था । बाद में वह बड़ी तेजी से फैला । रान् १९५५ तक उडीसा में लगभग एक हजार ग्रामदान हो गये थे । सन् १९५८ तक आध, मद्रास, वेरल और महाराष्ट्र में संकड़ों ग्रामदान हुए थे । इस समय कश्मीर और नागालैण्ड को छोड़कर सभी प्रदेशों में ग्रामदान हुए हैं ।

सन् १९५७ में मैसूर राज्य के एलवाल नामक स्थान में एक बड़ी ग्रामदान-परिपद हुई थी । उसमें तत्पालीन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू तथा विनोबाजी के अलावा कांग्रेस, प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी आदि प्रमुख राजनीतिक पक्षों के नेता भी सम्मिलित हुए थे ।

परिपद दो दिन तक चली और उसमें सर्वसम्मति से एक निवेदन स्वीकृत किया गया, जिसमें ग्रामदान-आन्दोलन को सब पक्षों ने अपना समर्थन व्यक्त किया था । निवेदन में बहा गया है कि ग्रामदान-आन्दोलन भू-समस्या का सर्वोत्कृष्ट समाधान है और इससे देश की नैतिक तथा भौतिक उन्नति में सहायता मिलेगी । उसने आवाहन किया था कि ग्रामदान-आन्दोलन और सामुदायिक विकास-योजना का घनिष्ठ सहयोग होना चाहिए ।

सन् १९६१ में विनोबाजी असम भये । वहाँ ढोड़ साल भ्रमण किया । उस अरसे में १०० से कुछ अधिक ग्रामदान वहाँ मिले । वे असम से इधर आये ही थे कि भारत की सीमा पर चीन का आक्रमण हो गया । उस सघर्ष के सदर्भ में विनोबाजी प्रतिरक्षा के एक अचूक साधन के रूप में ग्रामदान

वा महत्व जोरो से समझाने लगे और प्रामदान की शतों में कुछ सशोधन कर दिया, ताकि वह सबके लिए मुलभ हो सके।

इस नये आधार पर बगाल में तथा अन्य प्रदेशों में भी संकड़ों प्रामदान होने लगे। मगरोठ एक साधारण गाँव था, लेकिन उडीसा और महाराष्ट्र के अधिकतर प्रामदान आदिवासी धोन के थे। मद्रास में जो प्रामदान हुए, वे आदिवासी लोगों के गाँव नहीं थे, बल्कि औसत स्तर के थे। असम के प्रामदानी गाँव भी गंग-आदिवासी साधारण गाँव थे। इसके बाद पड़े-लिखे लोगों के अच्छे स्तर के बड़े-बड़े गाँव भी प्रामदान में मिलने लगे। देश के किसी भी स्थान का कोई भी गाँव प्रामदान हो सकता है, इसकी सम्भावना स्पष्ट होने लगी।

दिसम्बर '६३ में रायपुर में सर्वोदय-सम्मेलन हुआ। उसमें प्रामदान, खादी और शान्ति-सेना का 'त्रिविधि कार्यक्रम' स्वीकृत हुआ। यह माना गया कि सन् १९६९ में गाधीजी की जन्म-आताव्दी तक त्रिविधि कार्यक्रम के द्वारा ऐसा प्रयत्न किया जाय कि भारत के सारे गाँवों में 'प्रामन्त्वराज्य' की नीव पड़ जाय, और यही गाधीजी के प्रति वास्तविक अद्वाजलि हो जी।

गोपुरी (वर्धा) में सर्व सेवा संघ के अधिवेशन के अवसर पर मई १९६५ में विनोबाजी ने बिहार में प्रामदान-तूफान खड़ा बरने की अपील की। विहार के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि यदि वे छह महीने में दस हजार प्रामदान प्राप्त करने का सबल्प करते हैं, तो वे उनकी मदद में बिहार आ सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया और विनोबाजी ने ११ सितम्बर '६५ को बिहार में प्रवेश किया। बाद में अवधि कुछ बढ़ानी पड़ी और 'जुलाई '६६ के अन्त तक वहाँ ९,२०० प्रामदान हो चुके थे।

तूफान-आन्दोलन देशभर में फैला। जोरो से प्रामदान होने लगे। ७,००० की जगह जुलाई '६६ के अन्त तक २३,००० प्रामदान हो गये।

अप्रैल १९६६ में बलिया (उ० प्र०) में सर्वोदय-सम्मेलन हुआ। उसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि सन् १९६६ के अन्त तक देशभर में ५० हजार प्रामदान प्राप्त किये जायें। श्री जयप्रकाशजी ने अपना विश्वास

दिया है और वही जगह तो गैरकानूनी ढग से वर्मचारियों ने जो पैसा लिया था, वह वापस बसूल कर लिया गया है।

खासकर पिछड़े हुए इलाको में वहाँ की अर्थ-व्यवस्था पर साहूकारों की बड़ी गहरी पवड़ होती है। वे सामान्यतया बजें पर ५० से १५० प्रतिशत तक ध्याज बसूल कर लेते हैं। शुरू शुरू में साहूकारों ने ग्रामदान का विरोध किया, अपने प्रभाव का उपयोग करके उसे तोड़ने का भी प्रयत्न किया। वही जगह तो वे सफल भी हुए, लेकिन अधिकतर गाँवों में ग्रामीण इकुके नहीं, डटे रहे। उन्होंने अपना ग्रामबोध बना लिया और इससे उनका आधार भजबूत हुआ। फिर अन्ततः साहूकारों को ढीला होना पड़ा। उन्होंने ध्याज की दर घटा दी और गाँववालों के साथ सहयोग बरने लगे।

ग्रामदान के बाद निर्माण-कार्य भी शुरू किया गया है। गाँधी स्मारक-निधि, कस्तूरबा स्मारक निधि, खादी ग्रामोद्याग कमीशन, असदृष्ट खादी-ग्रामोद्योग-संस्थाएँ, हरिजन सेवक संघ आदि जितनी संस्थाएँ गांधीजी के रचनात्मक कामों में लगी हुई हैं, वे सब ग्रामदानी क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ देने लगी हैं, और कई ग्राम समूहों में अपना बेन्द्र चला रही है। इन बेन्द्रों में वे अपनी-अपनी प्रवृत्तियाँ तो चला ही रही हैं और साथ ही अन्य विकास-कार्यक्रमों में भी शुचि ले रही है। खादी-संस्थाएँ खादी कार्य कर रही हैं, और कस्तूरबा निधि गाँव की बहनों और बच्चों की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं।

विकास की विविध प्रवृत्तियाँ चलाने के लिए रथय ग्रामदानी गाँव के लोगों ने अपने संगठन बनाये हैं। मद्रास में ग्राम-स्वराज्य सहकारी-समितियाँ बनी हैं, और असम तथा उडीसा में 'ग्रामदान-संघ' बने हैं। ये संस्थाएँ सामान्यतया प्रखण्ड स्तर की हैं और ग्रामदानी गाँवों पर प्रतिनिधि उनके सदस्य हैं। ये संघ सोसाइटी-रजिस्ट्रेशन एवं अन्तर्गत रजिस्टर कराये जाते हैं। दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार वे संघों का गठन हो रहा है। मद्रास में इन संघों ने खेती की पैदावार बढ़ाने और विश्री का संगठन करने में बड़ा उपयोगी नाम किया है।

गुजरात में सहकारी-समितियाँ बाफी यशस्वी रही हैं। वहाँ अनाज आदि सभी दृष्टि-उत्पादन की विक्री का पूरा भार उन समितियों ने उठा लिया है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। कोरापुट में छोटे प्रमाण में यह प्रयत्न हुआ है।

एलवाल परिषद् में—सन् १९५७ में—यह निवेदन स्वीकृत हुआ था कि भारत सरकार की सामूहिक विकास-योजना और ग्रामदान-आन्दोलन में घनिष्ठ सहयोग होना चाहिए। हाल में सर्व सेवा सम्प और सामुदायिक विकास-मत्रालय के सहयोग से २५ सधन क्षेत्रों की एक योजना हाथ में ली गयी है। प्रत्येक क्षेत्र में सटे हुए कई ग्रामदान हैं, कुल जनसंख्या लगभग ५,००० है और कुल भूमि भी लगभग ५,००० एकड़ है। योजना का मुख्य लक्ष्य दृष्टि, मुर्गी-पालन तथा पशु-पालन-उद्योगों में उत्पादन बढ़ाना है।


खादी-ग्रामोदयोग कमीशन ने अपनी यही नीति निर्धारित कर ली है कि खादी-कार्य को बढ़ाने का काम आगे से केवल ग्रामदानी क्षेत्रों में ही किया जायगा।

इंग्लैण्ड में 'बार ऑन वाण्ट' नामक संस्था है। पिछडे राष्ट्रों के गाँवों के विकास के लिए सहायता देना ही उसका एक मात्र उद्देश्य है। इस संस्था ने ग्रामदान-आन्दोलन की ओर स्वयं दिलचस्पी ली और ४०० गाँवों को २४ लाख रुपये की सहायता दी है। औसत एक एक गाँव को ६-६ हजार रुपये मिले हैं। इसके अलावा ग्रामदानी गाँवों में कृषि की सुधारी पद्धति दाखिल करने आदि अन्य कार्यत्रयों के लिए और भी कुछ सहायता दे रही है। 'बार ऑन वाण्ट' की धनराशि का उपयोग सिचाई के साधनों में, सहकारी समितियाँ और छोटे उद्योगों को चालू करने जैसे कामों में किया जा रहा है।

भारत सरकार ने ग्रामदानी गाँवों को अनुदान और ऋण के रूप में देने के लिए एक वरोड़ की रकम अलग से स्वीकृत कर रखी है। अभी तक वह धन काम में लेना सम्भव नहीं हो सका है। वई राज्यों में प्रादेशिक सरकारें भी काफी भद्रदण्ड रही हैं। कुछ राज्यों में ग्रामदान-कानून बने

है और दूसरे राज्यों में विधानसभा के सामने बिल लाने वा प्रथल चल रहा है। मद्रास-सरकार ने एक भारी रकम ग्रामदानी गाँवों को ऋण के रूप में देने के लिए निश्चित वर रखी है, जो दूसरा बोई जरिया न रह जाने पर प्राप्त हो सकती है। उडीसा-सरकार ने ५०० ग्रामदानी गाँवों के कृषि-सुधार के बाम के लिए सहायता के रूप में अब तक २५ लाख रुपये दिये हैं।

यद्यपि ये सारी सहायताएँ काफी बड़ी हैं, फिर भी ग्रामदानी गाँवों की आवश्यकता को देखते हुए यह बहुत ही कम है, अपर्याप्त है। लाखों की सहाया में जब ग्रामदान हो जाते हैं, तब व्या राज्य-सरकार वी, व्या भारत-सरकार वी, सब योजनाएँ जड़-मूल से बदलनी होगी, साकि ग्रामीण धोन को सर्वाधिक प्राप्तिमिता मिल सके। फिर भी गाँवों की अपनी साधन सामग्री का पूरा उपयोग करके गाँव की शक्ति बढ़ी नहीं की जाती है, तो सरकार से मिलनेवाली सारी सहायता ऊंट के भुंह में जीरे के बराबर ही होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की एक विशाल सेना जरूरी है, जो गाँवों में बराबर घूमती रहे और लोगों को जगाती रहे। ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम बन रहा है। शान्ति-सेवान्दल के द्वारा वह काम होगा। उडीसा में पिछले साल इस प्रकार के २८ दिविर हुए, जिनमें १,५०० व्यक्तियों ने भाग लिया। इस वर्ष देशभर में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे शिविरों का आयोजन किया जायगा। ●



नयी औद्योगिक काति का प्रतीक अवर परिश्रमालय



शांतिसेना शिविर, अहमदाबाद के शिविरार्डी



नेफा के एक शांतिसेन्ट में

: ७ :

## खादी

सन् १९१९ में गांधीजी ने भारत की गरीबी को जब अपनी आँखों से देखा, तब उन्हें खादी-प्रवृत्ति को पुनरुज्जीवित करने की बात सूझी। वह आनंदोलन धीरे-धीरे विकसित होता गया और उसके साथ-साथ दूसरे प्राम-उद्योग जुड़ते गये। खादी अर्हिसक समाज-रचना का प्रतीक और अर्हिसक अर्यन्नीति की केन्द्रविन्दु बनी।

खादी-कार्य को बढ़ाने और फैलाने के लिए सन् १९२५ में अधिल भारत चरखा संघ की स्थापना हुई और प्रामोद्योगो का पुनरुत्थान करने की दृष्टि से सन् १९३५ में ३० भा० प्रामोद्योग संघ गठित हुआ। इन दो अधिल भारतीय संगठनों के अलावा सैकड़ों स्थानीय संस्थाएँ थीं, जो इन्हीं कामों में लगी हुई थीं। सन् १९४६ तक देशभर में खादी और प्रामोद्योगों का उत्पादन लगभग १ करोड़ ६ लाख रुपये से कुछ अधिक था।

यह स्वराज्य के पहले नी बात है। स्वराज्य के बाद भारत-सरकार ने इन्हीं कामों पो बढ़ावा देने के लिए खादी-प्रामोद्योग वभोजन वी स्थापना की। इसे सलाह-परामर्श देने के लिए दूसरा एक मण्डल ( बोर्ड ) भी है। इसी काम के लिए प्रत्येक राज्य में अलग-अलग बोर्ड भी हैं। इनके अलावा देशभर में छोटी-बड़ी लगभग दो हजार से अधिक संस्थाएँ हैं, जो खादी और प्रामोद्योग के काम के लिए ही समर्पित हैं। सन् १९६५ में खादी का कुल उत्पादन २०.९८ करोड़ रुपये था हुआ और '६६ में २१.१२ करोड़ रुपये था। प्रामोद्योगों का उत्पादन सन् '६५ में ३५.५५ करोड़ रुपये था और गन् '६६ में ३४.७३ करोड़ का हुआ। इन सब प्रवृत्तियों में लगभग १७०

करोड़ वी पूँजी लगी है। इसमें अधिकादा हिस्सा केन्द्रीय और राज्य सरकारों का है।

बतवैये, बुनकर और अन्य कारीगर कुल मिलकर लगभग २६ लाख लोग इन उद्योगों में, मुछ पूरी और कुछ आदिक रोजी पा रहे हैं। खादी वो समझने के लिए कुछ और तथ्यों को देख लेना भी उचित होगा।

इस समय भारत की जनसंख्या लगभग ४७ करोड़ है। इसमें से ८५ प्रतिशत सब्ज्या खेती पर निर्भर है। इतने लोगों को खेती में वारही महीने पर्याप्त रोजी नहीं मिल पाती है। लगभग आधा समय वे बेकार रहते हैं। स्पष्ट है कि आधा समय बेकारी में वितानेवाले लोग किसी कदर अच्छी स्थिति में रह नहीं सकते। खाली समय के लिए उन्हें कुछ-न-कुछ धूप मिलना चाहिए। अथवा, इसके बजाय क्या यह नहीं हो सकता कि कुछ लोगों वो खेती से हटा लिया जाय और उन्हें कोई दूसरा ही काम दे दिया जाय?

दूसरे देशों में खेती पर कम-से-कम लोग लगे होते हैं। जापान में केवल ४० प्रतिशत है, अमरीका में १५ प्रतिशत है। तो भारत में भी बैसा प्रबल क्यों न किया जाय?

स्वराज्य वे बाद हमारे नेताओं ने सोचा थि शहरों में बड़े-बड़े कल कारखाने खोले जायें और लोगों वो देहातों से बाहर ले जाकर वहाँ काम दिया जाय। इसमें उनका विशेष भरोसा था। लेकिन क्या हुआ?

सन् १९५०-५१ और १९५९-६० के बीच हमारे देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ३ करोड़ २० लाख बढ़ी, यानी इतने लोगों को नये सिरे से रोजी देने की जरूरत पड़ी। इसी अवधि में जो बड़े उद्योग घटे किये गये, उनमें जरिये केवल ११८ लाख लोगों वो ही काम मिल सका। यह ३ करोड़ २० लाख लोगों वा केवल ४ प्रतिशत होता है। तो बाकी १६ कीसदी लोगों को उनके अपने भाग्य पर यानी सुध्यतया खेती के भरोसे पर छोड़ दिया गया। इस संख्या में उन बरोडा पा हिसाब शामिल नहीं

है, जो सन् '५० के पहले से ही बेबार थे और इस अवधि में भी बेकार ही रहे हैं।

लोग जब २० गुना बढ़ गये हैं, तब उद्योगों को भी २० गुना क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता?

इसीलिए बढ़ा नहीं पाते कि उसके लिए धन नहीं है। उदाहरण में लिए मान लीजिये, एक कपड़े की मिल खोलनी है। उसमें लगभग एक करोड़ रुपये लगते हैं। उसमें केवल ५ सौ लोगों को काम दे सकते हैं। इसका मतलब यह कि एक व्यक्ति को काम देने के लिए २० हजार रुपये की पूँजी लगानी होती है। अर्थात् ऐसे कारखानों के जरिये देश के ४ करोड़ बेबारों को काम देने की बात सोचें, तो इसके लिए ८०,००० करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। आज देश के सभी बड़े उद्योगों और व्यवसायों में जो पूँजी लगी है, वह ५,००० करोड़ से भी कुछ कम है।

इसलिए इन सबको काम देने के लिए बोई दूसरा ही उपाय सोचना होगा। व्यावहारिक उपाय यही हो सकता है कि छोटे-छोटे उद्योग फैलाये जायें, जिनमें कम-से-कम पूँजी लगती हो और जिनको चलाने में मनुष्य-शक्ति का उपयोग मुख्य रूप से हो सके। अम्बर चरखे के ढारा एक व्यक्ति को काम देना है, तो उसमें लगभग २५० रु० की पूँजी लगती है। हाथ-करघे के जरिये काम देना हो, तो लगभग ३०० रु० की पूँजी लगेगी। इस तरह के सादे और छोटे छोटे औजारों के ढारा करोड़ों लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पूर्ण या आशिक रोजी दी जा सकती है।

यह सही है कि छोटे उद्योगों में पैदा होनेवाले माल बड़े कारखाने के माल से कुछ भर्हेंगे पड़ते हैं। एक-एक अद्द पर, कपड़े वे एक-एक मीटर पर, तेल वे एक-एक किलोग्राम पर अधिक थम लगता है। लेकिन इसकी ओर देखने की एक और भी दृष्टि है।

एक गांव लोजिये, जिसकी आवादी ५०० है। एक व्यक्ति वे पीछे सालाना २० रुपये का कपड़ा मान लें, तो उस गांव में सालभर में कुल १० हजार रुपये का बपटा जरूरी होगा। इसे खरीदने वे लिए वे धान, गेहूँ, दाल आदि

अपनी खेती की पैदावार बेचकर पैसा लाते होंगे। मान लीजिये, वे अपनी फुरसत के समय का उपयोग करने लगते हैं और उस समय अपना कपड़ा स्वयं बनाने लगते हैं, तो गाँव में १० हजार रुपये की बचत हो जाती है। उसमें से कपास का दाम घटा दें तो लगभग ७,५०० रुपयों की बचत साफ़ है। गाँव सालाना लगान के रूप में जो रकम चुकाता होगा, उससे यह रकम सात-आठ बारा अधिक है।

इसी तरह धीनी, तेल, साबुन, जूता, कागज आदि नित्योपयोगी चीजों को एक-एक करके लेते जायें, जिनके लिए कच्चा माल गाँव में मिल सकता है। उसका हिसाब लगायें तो पता चलेगा कि इन उद्योगों वो चलाने से गाँव कितनी बढ़ी धनराशि की बचत कर सकता है।

यह सच है कि कइयों के पास पूरा काम है, उनको पूरक उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। वे कह सकते हैं कि “हमें तो सभी धीजें खरीदनी होगी। तब हम भहेंगी खादी क्यों खरीदें? उससे हम नुकसान में रहेंगे।”

आज लाखों लोग बेकार हैं, क्योंकि उनके हारा तैयार किये गये माल को खरीदनेवाले बहुत कम हैं। उन बेकारों में वही तो भूखों भरने की व्यक्ति में है और उनको राहत पहुँचाने के लिए सरकारों को करोड़ों रुपये दान के रूप में बाटना पड़ता है। यह धन लोगों वी जेब से ही जाता है। जो राष्ट्र अपने वो समाजवादी कहते हैं, वही यह अनिवार्य माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजी, रोटी और कपड़ा मिलना ही चाहिए, जैसा वि-इन्डिए, अमरीका आदि में हो रहा है। लेकिन यह हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार मुफ्त में पैसा बाटने के बजाय उनसे कुछ काम बराबर, उनकी पैदा की हुई चीजों को दो पैसे अधिक देवर खरीदना चाहिए। काम से कामी का मान बढ़ता है। मुफ्त वी खेरात मान घटाती है।

इसीलिए सर्वोदय-आन्दोलन का कहना है कि ऐसे सोगों की निमित वस्तुओं को जरा अधिक दाम देवर यारीदें। दाम में जो अधिक पैसा देना पड़ता है, इसे दान समझ लीजिये। इस बात का प्याज रघना चाहिए कि यदि हम यह निश्चय बरेकि सरकार ‘होल’ देवर, मुफ्त में बेकारों वो पैसा

दे, तो उसके लिए भी विसी नये 'वर' के रूप में हमीको कुछ रकम देनी होगी।

सर्वोदय-आनंदोलन समाज को करुणा और सेवा का आधार देना चाहता है। जब हम देखते हैं कि लोग दुखी हैं, तब उसका हम पर प्रभाव पड़ता है और हम उनकी कुछ-न-कुछ सहायता करते ही हैं। यह है करुणामूलक हार्दिक सेवा। जब सभी ऐसा करने लगते हैं, तो समाज मानवता से समृद्ध होगा, मानवीय भावना से सम्पन्न होगा।

इस प्रकार से खादी-ग्रामोद्योगों को सहारा देना भूदान-आनंदोलन की तरह, सेवा का ही एक रूप है।

बुनियादी सिद्धान्तों को हानि न पहुँचाते हुए खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुओं को सस्ता करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी प्रयत्न का एक परिणाम अम्बर चरखे का आविष्कार है। साधारण चरखे से छह-सात-मुना अधिक उत्पादन अम्बर चरखे द्वारा होता है। इसी प्रकार दूसरे ग्रामोद्योगों में भी सुधरे औजारों को दाखिल किया गया है। इन उद्योगों की कई प्रक्रियाओं में विजली-शक्ति का भी उपयोग किया जाता है। इसमें इतना ध्यान रखा जाता है कि विजली लगाने के कारण कोई व्यक्ति बेकार न हो जाय, किसीकी रोजी छिन न जाय, बल्कि मनुष्य की शक्ति में बूढ़ि हो सके और उसे अधिक सक्षम और अधिक उत्पादक बनाया जा सके। सुधरे करघों से भी अधिक उत्पादन होने लगा है। अधिकाधिक उत्कृष्ट औजारों की खोज और प्रयोग बराबर जारी है।

फिर भी ज्यादातर लोगों को ये सब साधन बड़े महंगे पड़ते हैं। इसलिए सरकार से सहायता माँगी गयी थी कि वह खादी पर १९ प्रतिशत की सहायता दे, ताकि खरीदार को एक रुपये की खादी ८१ पैसे में ही मिल सके। सरकार ने वह सहायता स्वीकार की और दी भी गयी। तब भी खादी मिलने के बाद से महंगी ही पड़ती थी। फिर भी देश में खादी खरीदने-वाले कम नहीं हैं। आज भी १५-१६ करोड़ रुपये की खादी खपती है। लेकिन यह सागर में बूँद के बराबर है। खादी और ग्रामोद्योगों के द्वारा

लगभग ३० साल पतर्खे, युग्मर और अन्य बारीमरों वो रोजी मिल रही है। लेकिन देश में इससे पहले-नम २० गुना अधिक चेकार पढ़े हैं, जिन्हें याम वी आवश्यकता है। यादी में हो इन गवर्नरों काम देना हो, तो यादी-जल्लादन वा आज से मिलडां गुना बढ़ाया होगा।

आज तक यादी और ग्रामोदयों प्रवृत्तियों जो पैंची हैं, यह गुटठीभर स्थानों भाग्यनक्तियों पे प्रयाम से पैंची है। लेकिन इन्हें देश के प्रत्येक गौव में पैंचाना हो, तो यह तभी सम्भव होगा, जद गौववाले स्वयं इसे अपनी हाथ में लेते हैं।

इसी हेतु से दो रात पहले विनोदाजी की राय मे अनुसार यादी-वार्ष की नीति और पढ़ति में एक परिवर्तन किया गया। अब तो सभी गौवों वो अपनी-जपनी यादी बना लेने का महत्व समझ लेना चाहिए। यादी पर जो राहायता दी जाती थी, वह अब 'मुपत बुनाई' योजना में बदल गयी है।

इस योजना के अनुसार जितना भी हाथ-भता गूत होता है, उसे बुनने का पूरा धर्च सखार दे देती है। इसका अर्थ यह कि जो विसान युद व पास पैदा कर लेता है और फुरसत के समय में बात लेता है, उसको अपने बपडे के लिए नवद एक पैसा भी धर्च नहीं बरना पड़ता।

यादी के इस नये वार्षक्रम को वार्यान्वित करने और पैलाने के लिए निर्दिष्ट ही ग्रामदानी गौव अनुकूल क्षेत्र है। यादी और ग्रामोदयों के विना ग्रामदानी गौवों की अर्ध-रचना में आमूल परिवर्तन असम्भव है। त्रिविधि वार्षक्रम में केवल यादी का नाम आया है, लेकिन वह इससे सभी ग्रामोदयों का प्रतीक है। उन उद्योगों का महत्व जरा भी कम नहीं है।

प्रत्येक ग्रामसभा को सवल्प करना चाहिए कि एक-डेढ़ साल मे अन्दर वह गौवमर की जरूरत का कपड़ा स्वयं बना लेगी। देश में यादी-काम करनेवाली अनेक सत्याएं हैं। उस उस क्षेत्र की सत्या ग्रामसभा को बाम दुरु बरने में आवश्यक सहायता अवश्य बर सकेगी।

५०० वी आवादीवाले विसी गौव की मिसाल लें, तो जैसा पहले कहा गया, बाहर से बस्त्र न छोड़ने के कारण ७,५०० रुपये की बचत तो

होती ही है, उसके अलावा लगभग २,००० रुपये बाहर से गाँव में आ सकते हैं, जो बुनाई-मदद के रूप में बुनवारों को खादी-प्रामोश्योग कमीशन देता है।

गाँव में यदि कोई बुनकर नहीं है तो बाहर से एक बुनकर-परिवार लाकर वसाया जा सकता है, या गाँव के ही किसी व्यक्ति को बुनाई सिखा सकते हैं, ताकि वह उस धर्म को अपना ले। इसके लिए आर्थिक सहायता या तकनीकी मदद खादी-प्रामोश्योग कमीशन की ओर से दी जाती है। ■

## खादी का व्यापक महत्व

हमारे देश को तबाह करनेवाली दो भयवर बीमारियाँ हैं—नित्य बढ़ती हुई महेंगाई और मुनाफाखोरी। खादी और ग्रामोद्योग इनको रोकने में बड़े सहायक हो सकते हैं। महेंगाई का एक बारण यह है कि हमारी में बड़े सहायक हो सकते हैं। महेंगाई का एक बारण यह है कि हमारी सरकार ने बड़े-बड़े उद्योग-धर्य, रेलवे-कारखाने और इस्पात-कारखाने खोलने में बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर दी है। ये सब उद्योग देश के लिए आवश्यक जरूर हैं, लेकिन देश को उनका प्रत्यक्ष लाभ तुरन्त नहीं, वर्ड बर्पों बाद मिलता है। उससे पहले उनसे ऐसी कोई चीज पैदा नहीं होती, जिसे लोग बाजार में जाकर खरीद सकें। लेकिन उनमें जो धन धर्च होता है, वह मजदूर, वर्कर, कर्मचारी, ठीकेदार आदि अनेक लोगों के पास पहुंचता है, और वे उस धन से वर्ड सामान खरीदना चाहते हैं। इस प्रकार पैसे का चलन तो बढ़ जाता है, लेकिन उससे खरीदने योग्य पदार्थ तो बढ़ते नहीं हैं। यही महेंगाई है।

इसे दूर करने का एक यही मार्ग है कि नित्योपयोगी चीजों का उत्पादन बढ़ाया जाय। ग्रामोद्योगों के द्वारा ही यह वाम अधिक कारण हो सकता है। पिछले प्रवरण में हमने देखा है कि देश में बरोड़ी ऐसे लोग हैं, जिन्हे पूरे या आंशिक वाम की आवश्यकता है, लेकिन गदाम होते हुए भी वे वेकार गया हैं। इन सब लोगों की जो दक्षित बरावर जा रही है, उसका हिसाब लगाया जाय है और बताते हैं कि वह दक्षित पूरा गमय वाम करनेवाले लगभग १० करोड़ लोगों की दक्षित के बरावर हैं। रोज ग्री ओसत मजदूरी वाम में-बम १ रुपया माना जाय सो सालभर में लगभग २५ सौ करोड़ रुपया की हानि देश पर हो रही है।

यह रकम बहुत बड़ी है। जैसा पहले कहा गया है, एकमात्र खादी और ग्रामोद्योगों के द्वारा ही इतने लोगों को काम देना सम्भव है। उन्हें व्यापक रूप से ठीक ढग से फैलाया जाय तो हजारों-करोड़ों गुना उत्पादन बढ़ सकता है और बराबर बढ़ती हुई महेंगाई को निश्चित रूप से रोका जा सकता है।

महेंगाई का दूसरा कारण है मुनाफाखोरी। कपड़ा, चीनी, तेल, साबुन आदि सब 'चीजें बनानेवाले कारखाने निजी उद्योगपतियों के हाथ में हैं। उन वस्तुओं का व्यापार भी निजी ही है। सहज ही ये मालिक लोग भरसक अधिकाधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसे नियन्त्रित करने का प्रयत्न सरकार करती है, लेकिन उससे लाभ नहीं हो रहा है। बटोल लागू करते हैं, तो उसका भी अधिकार मुट्ठीभर अधिकारियों के हाथ में ही रह जाता है, इससे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ती ही है।

सरकार ने लोहा-इस्पात, विजली और यन्त्र-सामग्रियों आदि के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया है। क्या नित्योपयोगी वस्तु के कारखानों का भी राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए? लेकिन इस तरह के राष्ट्रीय-करण या सरकारी मालिकी से सरकार के हाथ में बहुत सारी शक्ति इकट्ठी हो जाती है, और अत्यधिक शक्ति का एकत्र होना बड़ा भयानक है। तिस पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो व्यवस्था राष्ट्रीकृत उद्योगों की होगी, वह पूरी विश्वसनीय ही होगी, ऐसा नहीं है। उनमें लापरवाही और अदमता बहुत है।

इसका उपाय यही है कि नित्योपयोगी वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, दोनों सीधे जनता के हाथ में होना चाहिए। यहाँ फिर वही खादी और ग्रामोद्योग आते हैं। ग्रामीण लोग अपनी ग्रामसभा या सहकारी समिति के द्वारा उत्पादन और वितरण की व्यवस्था बैठा सकते हैं। ऊंचे स्तर पर, ऐसी ग्रामसभाओं और स्थानीय सहकारी समितियों के संगठन, संघ या फेडरेशन बनाये जा सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति का नियन्त्रण वास्तव में जनता के हाथ में आता है। तब आज के निजी व्यवसायियों और

उद्योगपतियों को जनता के इन सगठनों की नीति के अनुसार अपने को बदलने के लिए विवश होना ही पड़ेगा ।

पूँजीवादी शोषण को खत्म करने का यही कारण उपाय है । जैसा कि विनोबाजी कहते हैं, ये साम्प्रदादी और समाजवादी लोग पूँजीवाद का समाप्त करने की वात तो करते हैं, लेकिन उनके द्वारा तंथार किये गये माल को काम में लेकर उन्हींवों पोषण दे रहे हैं । खादी ग्रामोद्योगों का तो यह प्रयत्न है कि उस पूँजीवाद को मिटा ही दिया जाय ।

बाधूनिक काल में लोगों की प्रवृत्ति भारी शहरों में बड़ी सम्भा में आ बसने की ही थी है । कई पाइवात्य राष्ट्रों में ८५-९० प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं । इन शहरों के कारण वर्द्धी नयी नयी पेचीदा समस्याएँ पैदा होती हैं । उनमें अपराध और अनीति फैलती है । सफाई, पानी आदि की व्यवस्था भी बड़ी बढ़िन हो जाती है । वहाँ बड़ी भीड़ रहती है, स्वास्थ्य विगड़ता है । लोगों वो ताजा हवा और धूप मिलती नहीं । आजकल तो आवागमन भी एक समस्या बन गयी है । सड़कों पर बेहूद भीड़ बनी रहती है ।

देहातों में अनेक प्रकार की सुविधाएँ हैं । वहाँ प्रत्येक आदमी गाँव के हरएक को जानता है । वे एक दूसरे वी मदद आसानी से कर सकते हैं । खुला आकाश ताजा हवा और धूप वहाँ भरपूर है । अपराध और अनीति जैसी गम्भीर समस्याएँ वहाँ आ नहीं सकती । लेकिन गांदगी, गरीबी, देहाती और एकान्त के कारण उद्यमशील लोगों का मन वहाँ नहीं लगता, वे शहरों में जाकर अपनी तबदीर आजमाने वा प्रयत्न करते हैं ।

सर्वोदय वा लक्ष्य गाँवों टूटने से बचाना है और उन्हें सशक्त और पुनर्जीवित करना है । शहरों में अमुक कुछ सुविधाएँ हैं, और लोग उनको देखकर ही शहर वी और आङ्कट होते हैं । लेकिन वे सुविधाएँ आज गाँवों में भी प्राप्त हो सकती हैं और गाँवों मो वे सुविधाएँ प्राप्त करनी भी चाहिए । गाँवों को साफ रप सकते हैं । वहाँ अच्छे स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय आदि चाहा सकते हैं । सड़कें अच्छी हो जायें, तो गाँव बाहरी

दुनिया से दूर नहीं पड़े रहेंगे। गाँवों में टेलीफोन और रेडियो पहुँच सकते हैं, और उनके द्वारा गाँव बाहर से सप्तकं रख सकते हैं।

आज शहरों की समृद्धि बड़े-बड़े उद्योगों पर निर्भर है। सामान्यतया नये उद्योग सभी शहरों में खड़े होते हैं और उनके कारण शहर बड़े बनते जाते हैं। सर्वोदय चाहता है कि उद्योग गाँवों में खड़े हों और फैलें। गाँवों में जब उद्योग चलने लगें, तब गाँव अधिक समृद्ध होंगे। छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के ही समान समर्थ और सक्षम हों सकते हैं। कई गाँवों में आज विजली पहुँच गयी है। अगर सबके सब गाँवों में विजली पहुँचे, जलदी पहुँचे, तो ग्राम-उद्योगों की कई प्रक्रियाओं में उसका उपयोग किया जा सकेगा। इससे मनुष्य पर आज जो अमानुषी भार पड़ता है, वह नहीं पड़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। अधिक पैदावार बढ़ानेवाले ओजारों का निर्माण हो सकता है, शोध हो सकता है, प्रयोग हो सकता है और गाँवों में उन्हें चालू कर सकते हैं। ग्रामीण और क्षेत्रीय योजना ऐसी बनायी जा सकती है कि इन ओजारों के कारण गाँव का एक भी आदमी बेकार न रहे, विषमता पैदा न हो और दोषण न हो।

गाँवों में लोग अपने घरों में या घर के ही आसपास मनोहर बातावरण में बाम करते हैं। बाम करने में उनको अधिक उत्साह आता है। और आसानी से वे विश्राम भी कर सकते हैं। वे उस बेहद परेशानी, चिंता और तनाव से बचेंगे, जिसके शहरी लोग शिकार बने हुए हैं। घर में और दुनिया में शान्ति स्थापित करने में यह एक बहुत बड़ा आवश्यक तत्त्व है।

इस प्रकार खेती और अधिकार गाँवों में उद्योग रहेंगे। और विलकुल थोड़े से बड़े उद्योग शहरों में रहेंगे। इस्पात, रेलें, जहाज आदि बड़े उद्योग तो शहरों में ही चलाने होंगे। लेकिन उनका आकार और उनकी सद्या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए।

जिस अर्थ-व्यवस्था में इस प्रवार ग्रामीण और छोटे उद्योगों की प्रधानता होती है, उसे 'विवेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था' कहते हैं। जिस प्रशासन-योग्यति में ग्रामसभा चुनियाद रहेगी और अपने प्रशासन के अधिकाधिक भाग ग्रामों

के हाथ में रहेंगे, उसे 'विकेन्द्रित राज्य-व्यवस्था' कहते हैं। इन दोनों वे के आधार पर विकेन्द्रित समाज का निर्माण होगा। प्रत्येक व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता और विकास का पूरा अवसर देने का आश्वासन एकमात्र विकेन्द्रित समाज ही दे सकता है। इसीलिए सर्वोदय में इसकी अनिवार्यता मानी गयी है।

सर्वोदय केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि समूचे विश्व के लिए है। आखिर दुनिया को एक होना है। विनोबाजी की यह कल्पना है कि एक सिरे पर रहेगा स्वायत्त और स्वशासित गाँव और शहर, तथा दूसरे सिरे पर रहेगा विश्व। इन दोनों के बीच प्रदेश, देश आदि जितने भी हिस्से होंगे, वे सब प्रशासन की सुविधा की अलग-अलग इकाइयाँ ही रहेंगी, उनका इससे अधिक महत्त्व नहीं रहेगा। सारे विश्व के लोग जाति, वृक्ष, भाषा, धर्म, विचार आदि सभी भेदभाव भूलकर एक महान् परिवार बनाकर रहेंगे।

ग्रामदान, खादी और शान्ति-सेना विश्व के उस भव्य भविष्य की बुनि याद ढाल रही है। अब तक हमने शुरू के दो कार्यक्रमों के बारे में विचार किया। अब अगले प्रकरण में तीसरे कार्यक्रम पर विचार करेंगे। ●

: ९ :

## शान्ति-सेना का आदर्श

३० जनवरी १९४८ का दिन, शाम के ५-१० का समय । नयी दिल्ली में बिडला-भवन के आँगन में गाधीजी तेजी से प्रार्थना-स्थल की ओर बढ़े जा रहे थे । उन्हें जरा देर हो गयी थी, क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ममस्याओं की गम्भीर चर्चा में लगे हुए थे, इसलिए जल्दी में थे ।

गाधीजी मच पर पहुँचने ही बाले थे कि इतने में उन्हें तीन गोलियाँ लगीं और वे घराशायी हो गये । न उनके मुंह से कोई कराह निकली, न हृत्यारे के प्रति आक्रोश । उनके ओठों से यही एक शब्द निकला—  
‘हे राम !’

इस प्रकार, जैसा कि विनोबाजी ने बाद में भावनाभरे शब्दों में व्यक्त किया : “गाधीजी प्रथम शान्ति-सैनिक थे, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए प्राण त्यागे । उन्होंने एक सेनापति के नाते आदेश दिया और सैनिक के नाते उस पर अमल किया ।”

शान्ति-सेना ऐसे लोगों का एक समूह है, जो समाज के सभी संघरणों और तनावों को शान्तिपूर्ण उपायों से मुलझाने तथा हिसक उपद्रवों को शान्त रो शान्त करने के लिए कटिबद्ध हो । यह विचार कई बर्ष पहले गाधीजी ने प्रवर्ट किया था । उन्होंने बहा था ।

“कुछ समय पहले मैंने ऐसे स्वप्नसेवकों की एक सेना बनाने की तज्ज्वीज रखी थी, जो दंगो—प्राप्तकर साम्प्रदायिक दंगो—को शांत करने में अपने प्राणों तक की बाजी लगा दें । विचार यह था कि वह सेना पुलिस का हो नहीं, यत्कि फीज तक का स्थान ले ले । यह बात बड़ी महत्वाकांक्षा की मालूम पड़ती है, शायद यह असम्भव भी साबित

हो। किर भी कांप्रेस को अगर अहिंसात्मक लड़ाई में कामयादी हासिल करनी हो, तो उसे ऐसी परिस्थितियों का शान्तिपूर्वक अहिंसा से सामना करने की अपनी शक्ति बढ़ानी हो चाहिए।"

स्वराज्य से पहले भारत में जो भायानक साम्राज्यिक दगा फूट पड़ा और देश के विभाजन के बाद जिसने अत्यन्त उपर रूप धारण किया, तब गाधीजी उस साम्राज्यिक उत्तेजना की अग्नि वौ शान्त करने के प्रयत्न में जी-जान से लग गये और उसी प्रयत्न में कुरवान हो गये। ॥८॥

उनकी जहादत ने उस समय भाई-भाई के उस भीषण सघर्ष को शान्त तो कर दिया, लेकिन भारत में उसके बाद अनेक प्रकार से हिंसक उपद्रवों का सिलसिला दरावर चला आ रहा है। भाया के प्रश्न पर, धर्मयन्य वै के प्रश्न पर, राज्यों के प्रश्न पर, इसी तरह कई कारणों से यही हिंसक उपद्रव हुए हैं। भजदूर-आनंदोलनों और छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों में भी हिंसा हुई है, पुलिस का या सरकारी निर्णयों का बदला लेने तक की नीबत आयी।

ऐसे उपद्रवों को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस की मदद में सेना को भी बुलाना पड़ा। इन उपद्रवों तथा पुलिस की नीलियों के कारण कई जांचे गयी। सम्पत्ति की हानि भी काफी हुई। ऐसी सारी आन्तरिक अशान्तियों के कारण देश कमज़ोर होता है और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। देश की एकता वे लिए भी यह बड़ा घातक है। पुलिस पर जो अत्यधिक खर्च करना पड़ रहा है, यह देश की सम्पत्ति का अपव्यय ही है। ऐसे सब मामलों में अपने ही नागरिकों के खिलाफ़ फौज का उपयोग करना पड़ता है। यह बड़े येद वी चात है।

समाज को अनुशासन में रखने के लिए पुलिस और सेना वा हमेशा उपयोग करते रहना अमर पुलिस और सेना की शक्ति और महत्व को बढ़ावा देना है। इससे लोकतन्त्र की बुनियाद धीरे-धीरे, लेदिन निरिचत हृष के शिखिल होती जाती है और उसके अस्तित्व पोही घतरा पैदा होता है। लोगों को हिमा की आदत पड़ जाती है और लोकतन्त्र में विश्वास खत्म हो जाता है।

इसलिए हमारे देश के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सारे विवाद और सघर्षों का समाधान शान्तिमय उपायों से ही किया जाय। जब तक जनता स्वयं ऐसे शान्तिमय तरीकों की आदी नहीं होती है तब तक इसका प्रारम्भ बरने के लिए त्यागी और सेवावृती सेवकों के एक समूह भी आवश्यकता रहेगी।

ऐसे उपद्रवों के कारणों वी छानबीन करने लगते हैं, तो अनेक बातें दिखाई देती हैं, किर भी विशेष महत्व के दो प्रकार के कारण हमारा ध्यान खीचते हैं। एक प्रकार के उपद्रवों के पीछे जाति, धर्म और भाषाई समूहों के मन में अरसे से गहरा बसा हुआ सशय और द्वेषभाव होता है। वभी इतिहास में ऐसी घटनाएँ हो गयी हैं, जिनके कारण इस तरह के सशय और द्वेष पैदा हुए हैं। लेकिन आम तौर पर उन बातों का आज के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है।

उदाहरण के लिए साइप्रस में ग्रीक और तुर्की लोगों में, या मध्यपूर्व देशों के अरब और यूनानियों में आपसी द्वेष और शका की भावना होती है, तो इसी सधर्पं में उनकी बहुत बड़ी शक्ति खर्च हो जाती है। इसके कारण वे 'सद्वके हित' की किसी भी प्रवृत्ति में मिल-जुलकर शक्ति लगा नहीं पाते और आधुनिक विज्ञान ने जो-जो विज्ञाल सुविधाएँ निर्माण की हैं, उनका लाभ उठा नहीं पाते। यही बात भारत में पिछले दिनों स्वीर्ण और धुद्र भावना के कारण जो दगे और उपद्रव हुए, उन पर भी लागू है।

दूसरे प्रकार के उपद्रवों के कारण भिन्न बोटि वे हैं। हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बहुत-सी अव्यायपूर्ण बातें भरी हुई हैं। कुछ लोगों के पास बहुत जमीन है, कुछ लोगों के पास बिल-कुल नहीं। कुछ लोगों वे हाथ में हजारा लोगों वो बाम देने की शक्ति और जीविका के साधनों पा हक पेन्ड्रित हो गया है, कुछ लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अपने वो थेठ मानते हैं और जो छाटे या निचले हैं, उनको अपने बराबर मानने वो तैयार नहीं होते। इस तरह भी आगिनत विपर्मताएँ हैं। इसके अलावा आर्थिक रोग भी बहुत हैं, जिनके कारण अमर सर, महेश्वर

आदि वर्ष पैदा होते हैं। इन सबके कारण लोगों को बड़ी बठिनाई का सामना करना पड़ता है।

लोग जब इन अन्यायों और विप्रमताओं को सहन नहीं बर पाते हैं या ये दुख बरदास्त नहीं कर पाते हैं, तब विद्रोह कर बैठते हैं। अबसर इन दुखों का सामना शान्तिमय ढग से कैसे बिया जाय, यह वे जानते नहीं हैं या फिर उनमें उतना धीरज नहीं रहता। इसी कारण हिंसाकार्य और उपद्रव फूट पड़ते हैं।

भाजकल इनका एक जागतिक पहलू भी है। ससार में वही राष्ट्र ऐसे हैं, जहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था दोषपूर्ण है, और उसके कारण बहुसंख्य जनता को गरीबी और भूख का शिकार होना पड़ रहा है। यद्यपि विज्ञान के कारण मानव-कल्याण की विश्वाल सम्भावनाएँ खुल गयी हैं, तथापि उन सम्भावनाओं का लाभ तभी प्राप्त हो सकेगा, जब ये अन्याय और पुरानी पद्धतियाँ बदल जायेंगी।

अधिकाश लोगों के मन में दृढ़ धारणा बनी हुई है कि इन अन्यायपूर्ण पद्धतियों को खत्म करने के लिए एक जागतिक क्रान्ति की आवश्यकता है। उनका विश्वास है कि वह क्रान्ति हिसक ही होनी चाहिए और उसके कारण विश्व-युद्ध छिड़ जाय तो भी हज़ं नहीं।

यद्यपि पिछले जमाने में कई सामाजिक क्रान्तियाँ हुई हैं, जिनके कारण विश्व-युद्ध की नीबत नहीं आयी, लेकिन आज विश्व की परिस्थिति ऐसी है कि वही कोई सघर्ष छिड़ता है, तो उससे विश्व-युद्ध का खतरा हो सकता है। और आज यदि तीसरा विश्व-युद्ध होता है तो उसमें अणु-बस्त्रों का प्रयोग जरूर हो सकता है और सारी मानव-संस्कृति मिट्टी में मिल सकती है।

इसलिए दूसरे लोग युद्धों और सघर्षों से डरते हैं तथा शान्ति को प्राप्त-मिकता देते हैं। वे हर कीमत पर, यहाँ तक कि अन्याय और दुखों की आज की हालत को ज्यो-कान्त्यो बरदास्त करते हुए भी शान्ति बनाये रखना क्षमता करते हैं।

इससे ससार के सामने एक दून्ह खड़ा होता है—शान्ति या युद्ध ?

लेविन दु थी सरार आज क्रान्ति और शान्ति दोनों चाहता है। ससार को ये दोनों मिल सकते हैं, यदि हम शान्तिमय क्रान्ति कर सकें अबवा अमुक प्रकार की कान्तिकारी शान्ति कायम कर सकें। वैसा बोई समाधान व्या हमारे पास है? इस प्रश्न के उत्तर पर ससार का भविष्य निर्भर है।

सन् १९५१ में जब विनोबाजी तेलगाना के पीडित क्षेत्रों में गये, तब ऐसा ही एक समाधान, इसी प्रकार का उत्तर उनको मिला। वहाँ हिसक उपद्रव फूट पड़ा था। उस उपद्रव वे केन्द्र में भूमि की समस्या थी। वहाँ कुछ लोगों के हाथ में वेहद जमीन थी और वाकी अधिकांश लोग बेजमीन थे। एक गांव में विनोबाजी की अपील पर जमीदार रामचन्द्र रेहु ने स्वेच्छा से भूमिहीनों के लिए १०० एकड़ जमीन दान के रूप में दी तो विनोबाजी को भूमि-समस्या का शान्तिमय समाधान मिल गया। इस अल्प आरम्भ से विशाल भूदान-आन्दोलन खड़ा हुआ, जो भारत की शान्ति के और अन्यायपूर्ण भूमि-समस्या के परिहार के रूप में प्रकट हुआ। आगे चलकर यही प्रामदान-आन्दोलन वे रूप में विवितित हुआ।

इस प्रकार शान्ति-सेना के धार्म के निम्न पहलू प्रमुख हैं।

१. सधर्यं की वारणीभूत सकीर्ण मान्यताओं और दृष्टिकोणों का निवारण करना,

२. सामाजिक अन्याय दूर करना, जिससे आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो,

३. देशभर में शान्तिमय परिस्थिति बनाये रखने वा आश्वासन देना,

४. हिसक उपद्रव का शमन वरने के प्रयत्न में शान्तिमय साधनों से जूझना और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपना शरीर छोड़ने की तैयारी रखना,

५. और इन सब उपायों के द्वारा भारत में अहिंसक समाज-रचना की नीव डालना, जो विश्वव्यापी शृद्योग और वल्यान वा मार्ग प्रभास्त वरने-वाला हो और युद्ध को सदा वे लिए समाप्त करे।

## शान्ति-सेना का कार्य

गांधीजी के कुछ साथियों ने जगह-जगह शान्ति-सेना के कुछ छोटे-छोटे समठन बना लो लिये थे, लेकिन गांधीजी को अपनी कल्पना के अनुसार शान्ति-सेना के विचार को ठोस रूप देने का मौका नहीं मिला। विजयोदाजी ने अगस्त १९५७ में केरल वी पदयात्रा के बीच अखिल भारतीय स्तर पर शान्ति-सेना खड़ी करने का बीड़ा उठाया। उसी समय उन्होंने शान्ति-संनिकों का एक छोटा मण्डल गठित भी किया।

इस समय भारतभर में कोई १२,२४२ शान्ति-संनिक है।

१८ साल से बड़ी उम्र का जो भी व्यक्ति, जो निम्नलिखित घोषणा और प्रतिज्ञा करता है, शान्ति-संनिक बन सकता है।

**“मैं विश्वास करता हूँ कि”**

१ सत्य और अहिंसा पर आधारित नया समाज बनना चाहिए।

२ समाज में होनेवाले सारे संघर्ष अहिंसक साधनों से हल हो सकते हैं और होने चाहिए, खासकर इस अनु-युग में।

३ मानवमात्र में मूलभूत एकता है।

४ यह मानवता के विकास में वाधक है और अहिंसक जीवन-पद्धति का विपर्यय है, इसलिए

**मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि**

१ शान्ति के लिए काम करूँगा और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण समर्पण करने वो तैयार रहूँगा।

२ जाति, सम्प्रदाय, रंग, पक्ष आदि भेदों से ऊपर उठने वो पूरी-पूरी दोशित रहूँगा, क्योंकि ये भेद मनुष्य की एकता को मानने से इनकार करते हैं।

३ किसी युद्ध में शरीक नहीं होऊँगा ।

४ सुरक्षा के अहिंसक साधनों तथा बातावरण को बनाने के लिए सहायता करेंगा ।

५ नियमित रूप से अपना कुछ समय अपने मानव-बन्धुओं की सेवा में लगाऊँगा ।

६ शान्ति-सेना के अनुशासन को मानूँगा ।”

प्रत्येक शान्ति सैनिक का नाम किसी शान्ति केन्द्र में दर्ज होगा और वह उससे जुड़ा रहेगा । एक वर्ष तक परीक्षण की स्थिति में रहेगा और उस अवधि में यदि वह स्वयं त्यागपत्र देकर नहीं हट गया या चारित्र्य-सम्बन्धी शिकायत के कारण उसे केन्द्र ने हटा नहीं दिया, तो वह विधिवत् शान्ति-सैनिक माना जायगा ।

### शान्ति-केन्द्र

एक गाँव या मुहल्ले में दो या अधिक शान्ति-सैनिक हैं, तो वे मिलकर शान्ति-केन्द्र बना सकते हैं । यह शान्ति-सेना की बुनियादी इकाई है ।

अपेक्षा यह है कि इन सैनिकों को बैठक कम-से-कम सप्ताह में एक बार हो, जिसमें पिछले सप्ताह के काम की जानकारी दी जाय और आगामी सप्ताह के कार्यक्रम की योजना बनायी जाय । इनके कार्यक्रम सामान्यतये हो सकते हैं—समाज में कहीं कोई अशान्ति का लक्षण दिखाई दे, तो उसके परिहार का प्रयत्न करना, कोई न-कोई समाज-सेवा, नियमित स्वाध्याय, खेल-कूद वगैरह ।

यद्यपि जगह-जगह की विशेष परिस्थिति वे अनुसार प्रत्यक्ष कार्यक्रम भिन्न-भिन्न हो सकता है, फिर भी उनके तीन प्रमुख विभाग बिये जा सकते हैं—थ्रम, सेवा और स्वाध्याय ।

जिले में अधिक केन्द्र हो, तो उनके बीच सहयोग बनाये रखने के लिए जिला-स्तर वा एक समोजक या शान्ति सेना समिति रहेगी । इस समिति

वा गठन प्रादेशिक शान्ति-सेना समिति करेगी। प्रादेशिक शान्ति-सेना मण्डल अ० भा० शान्ति-सेना मण्डल के अध्यक्ष की स्वीकृति लेकर इस समिति का गठन करेगी। राज्य शान्ति-सेना समिति का काम राज्य में शान्ति-सेना वे वास का आयोजन करना और जहाँ आवश्यकता पड़े, वहाँ शान्ति-सैनिकों को भेजना है।

अ० भा० शान्ति-सेना मण्डल को सर्व सेवा सघ का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। यह मण्डल देशभर में शान्ति-सेना का विचार फैलाने और सभी समितियों का सयोजन करने का काम करेगा। मण्डल का कार्यकाल तीन वर्षों का रहेगा। इस समय श्री जयप्रकाश नारायण इसके अध्यक्ष है। विनोबाजी शान्ति-सेना के प्रमुख सेनापति है, अर्थात् शान्ति सैनिकों को आदेश देने का अन्तिम अधिकार उनके हाथ में है। शान्ति-सेना के वैधानिक सगठन के किसी पद पर विनोबाजी नहीं है, लेकिन मण्डल के सभी महत्व के नियंत्रण उनकी सलाह से ही लिये जाते हैं।

अबसर एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या शान्ति-सेना सफल हो सकती है? यह नौ वर्षों के अनुभव से इसके प्रति शक्ति सुदृढ़ हुई है और इसके निर्माण को प्रोत्साहन मिला है। आवश्यकता को देखते हुए आज वह सेना बहुत छोटी पड़ती है। विनोबाजी वी वल्पना है कि ५ हजार लोगों के बीच एक शान्ति-सैनिक हो। इसका अर्थ यह कि पूरे भारत के लिए लगभग १०,००० शान्ति-सैनिक आवश्यक होंगे। लेकिन आज ऐबल १२,००० ही हैं और उनमें भी आधे विहार में हैं। फिर भी इस छोटी-सी शक्ति ने जो वास किया है, जो सफलता प्राप्त की है, वह वाम सराहनीय नहीं है।

प्रदर्शनों और झगड़ों के मामले में कई बार शान्ति सैनिक हिस्क उपद्रव को टालने में सफल हुए हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में पुथव् राज्य के लिए जव आन्दोलन चला था, तब शान्ति बनाये रखने में शान्ति-सैनिकों ने विशेष प्रयास किया था। उन्होंने जुलूस निकाले, नेताओं से मिले, कई परचे प्रकाशित किये। कई बार तो जनता और पुलिस के बीच घड़े रहे कर सघर्ष वो बचाया। पुलिस पर इनका इस बदर प्रभाव रहा कि पुलिस

को भीट पर साढ़े चारांसे में हाथ रोते लौंग पड़ा । पुलिंग ने इस भेषाम्रों की सराटना बी और जब ये अद्मदायाद जड़े जानेवाले थे, तब यहाँ गूंजने के लिए प्रायंगना थी ।

इदौर में मिल-मालियों और मजदूरों में बीच हुए इगाई में बग-नो-बम तीन बार हिमा-चाण्ड हों-हों चाराया ।

सन् १९६१ के उत्तर प्रदेश के गाम्बदायिर इनदों में आरे के शान्ति-सन्निपत्र गजग रहे और शहर में धराना न होने देने में बाजी सहमोग दिया । सन् १९६४ में विहार और उडीसा में जब भभार हत्याकाण्ड हुआ, तब उसकी ओर यदगमपुर में भी पहुंची, लेकिंग वट्टे के स्थानीय शान्ति-गौंडियों की मजगता के बारण पौर्व अवाइटा या अनिष्ट पठना नहीं हानि पायी ।

पौर्व अन्य प्रसागों में विवाद यों गुज़ाराने में उपवास का रातारा लेना पड़ा और वह सपल रहा । ऐरल में नावों के रिराये वो लेटर विवाद घटा हुआ था, तब वहीं के उच्च व्येष्ठी के नेता श्री केलप्पन् ने उसके शान्ति-पूर्ण समाधान के लिए उपवास किया था । विराये में वृद्धि होने के बारण उसके विरोध में विद्यार्थी घड़े हो गये थे और भारी उपद्रव होनेवाला था । उडीसा में सखार और विद्यार्थियों के यीच घटा विवाद घटा हुआ था, जो लगभग दो महीने तक चलता रहा । उगरे शान्तिमय रामाधान के लिए आचार्य हरिहर दास ने उपवास किया, जिससे विवाद शान्त हुआ । मद्रास में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन के नियमण के लिए विनोदाजी वो उपवास करना पड़ा था, यह सब जानते हैं ।

विशाल और हिस्क उपद्रवों में शान्ति-सैनियों ने सामान्यतया जनता को समझाने और हिस्सा वो रोकने वा प्रयास किया है । आम तौर पर पर घोड़े-से स्थानीय सैनिक जितना कर सकते थे, उतना उन्होंने किया । सूचना मिलते ही बड़ी सज्जा में बाहर से शान्ति-सैनिक फौरन् यहाँ चले आये । लोगों को शान्त घरने में, सशय के बातावरण को मिटाने में और बेघर लोगों को किर से बसाने में इन लोगों ने बढ़ा सराहनीय बाम किया । इन्हें अच्छी सफलता मिली । असम में जब बगला-विरोधी दोगे हुए, तब भी भारत

के कोने-कोने से शान्ति-सैनिक वहाँ गये थे। श्री जवाहरलालजी की माँग पर बाद में विनोबाजी भी असम पहुँचे और वहाँ के शान्ति-सैनिकों का मार्गदर्शन किया।

सिंहभूम, राँची और सुन्दरगढ़ जिलों में जब साम्प्रदायिक दगे हुए, तब बिहार और उडीसा के शान्ति सैनिक पीडित धोत्रों में बड़ी सद्या में गये। यहाँ भी उनका काम बड़ा सफल और प्रभावशाली रहा। दगे में भाग लेनेवालों में वई लोगों को इन्होंने समझाया, जिसके फलस्वरूप उन लोगों ने अपने दुष्कर्म के लिए पश्चात्ताप किया और जिनके घर जला दिये गये थे, उनके घर फिर से बांधने में अपनी ओर से उन्होंने मदद तब दी।

सीतामढ़ी (बिहार) में अल्पसंख्यक जाति के लागो के पर जल जाने के प्रदन को लेकर साम्प्रदायिक हिसा फूटी थी। लेकिन उसे आगे बढ़ने से रोकने में शान्ति सैनिक सफल रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साम्प्रदायिक दगों में, मद्रास के हिन्दी-विरोधी उपद्रवों में तथा पजाव के पजावी विरोधी दगों में भी शान्ति-सैनिकों ने शान्ति-स्थापना का काम किया।

अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे उपद्रवों में याहूर के शान्ति-सैनिक समय पर पहुँच नहीं पाते हैं और उपद्रव को रोक नहीं पाते हैं, बल्कि स्थानीय शान्ति-सैनिक पर्याप्त सद्या में हो, तो उपद्रवों को न होने देने में वे सफल हो सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि विनोबाजी यी बल्पना थे अनुसार ५,००० लोगों के बीच बम-से-कम एक शान्ति सैनिक भी ठीक से काम करने लगे तो शान्ति बनाये रखने का वह एक अच्छा यह साधित हो सकता है।

शान्ति-सेना का एक और महत्त्वपूर्ण बाम यह रहा है कि दीन-दलित लोगों को विविध दबाव और शोपण से बचाने में कापी सुगदान दिया गया है। पूणिया (बिहार) और बोरापुट (उत्तल) धोत्रों में भाष्टाखार और रिहतखोरी को खत्म करने में वे सफल हुए हैं। बोरापुट के दीन-हीन आदिवासियों में निर्भयता निर्माण करने में भी वही सफलता मिली है।

पूना में खटवागला बौद्ध वे टूटने से बाढ़ आने पर, आन्ध में तूफान

के बारण तथा विहार के बाढ़प्रस्त इलाके के उन प्राकृतिक सकटों के बीच भी शान्ति-सेना ने काफी परिश्रमपूर्वक काम किया है।

## शान्ति-सेवा दल

यह शान्ति-सेना की एक शाखा है। इसके लिए एक साधारण सकल्प लेना होता है। कोई भी स्वच्छा से यह सकल्प लेकर इस दल का सदस्य बन सकता है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है, जो शान्ति-सेनिक की प्रतिज्ञा तो लेने में असमर्थ होंगे, लेकिन शान्ति चाहते हैं और शान्ति-स्थापना के लिए कुछ-न-कुछ करना चाहते हैं।

इसके दो भाग हैं। एक है किशोर-शान्तिदल, जिसमें १२ से १८ वर्ष तक के किशोर शामिल हो सकते हैं। और दूसरा तरण-शान्तिदल है, जिसमें १८ से ३० वर्ष तक के युवक भाग ले सकते हैं। इस देश में इन दिनों कम ही उपद्रव ऐसे होते हैं, जिनमें किशोरों का हाथ न रहता हो। किशोर-शान्तिदल चाहता है कि किशोरों और युवकों के विद्यायक सामाजिक दृष्टिकोण का विकास हो और उनकी शक्ति को सूजनात्मक तथा लाभदायी प्रदूतियों की ओर भोड़ा जा सके।

सन् १९६४ से प्रतिवर्ष किशोर-शान्तिदल के वार्षिक शिविर आयोजित हो रहे हैं। ये शिविर काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन शिविरों में भाग लेनेवाले वर्द्ध युवक तथा युवतियाँ अपने-अपने दोनों में दल बो शाखाएँ खोल रहे हैं और उपयोगी कार्यक्रम चला रहे हैं।

तरण-शान्तिदल का यह प्रयत्न है कि देश में सगठित और समर्थ एक सेवा-समिति खड़ी की जाय, जो रचनात्मक प्रदूतियों और समाज-सेवा के काम में लगे। इन दोनों शाखाओं के द्वारा शान्ति-सेना देहात और शहर, दोनों धोनों में बाम बर रही है। शहरों में तो शान्ति-सेना ही एकमात्र अत्यन्त प्रमुख सर्वोदयी वार्यभम है। अधिकतर सापर्य, उनाव, दगे शुरू में शहरों में ही पूट पढ़ते हैं। इतन्हीं जड़ में ही इनको रोकने का काम काफी महत्व वा है।

देहातों के लिए शिविधि कार्यक्रम के एक अग के तौर पर शान्ति-सेना वा महत्व अत्यधिक है। जहाँ ग्रामदान देश को खोखला बना देनेवाले आकस्मिक सघर्षों की जड़ वो निर्मूल बरते वा प्रपत्न बरता है, वहाँ जनता में ग्रामदान के तत्त्व और विचार वो फैलाने वा महत्वपूर्ण काम शान्ति-सेना को करता है। जो गाँव ग्रामदान में था जाता है, वहाँ जो-जो काम करते हैं, उनमें भी एक बहुत प्रमुख काम यह है।

ग्रामदानी गाँवों में भी तनाव और सघर्ष होगे ही। गाँव गाँव के बीच भी सघर्ष हो सकते हैं। मुकदमेवाजी देहातों के लिए एक शातक अभिशाप है। उनका भाग्य इसी पर लटकता रहता है। इसके कारण शान्ति भग होती है। कई समाज विरोधी व्यवहार और अपराध-समस्याओं का भी देहातों वो सामना करना पड़ता है। देहाती धोन के शान्ति-सैनिकों और सेवकों को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है।

### गणवेश

शान्ति-सैनिक जब कार्यरत होते हैं, तब अपेक्षा यह है कि वे सफेद वस्त्र पहने रहें और सिर पर खादी का पीला रूमाल बांधें। रूमाल २४ इच चौड़ा, २४ इच लम्बा होना चाहिए, उसे त्रिकोणाकार में मोड़कर सिर पर ल्पेट लेना चाहिए।

शान्ति-सैवकों को भी सफेद कुर्ता या कमीज पहनना चाहिए और शान्ति-सैनिकों की ही तरह का खादी का पीला रूमाल अपने गले में, स्काउट व तरह बांधना चाहिए, सिर पर नहीं। साथ ही कमर पर खादी का वीला पट्टा भी बांधना होगा। सीने की बायी ओर लगाने के लिए इनको एक बैंज भी दिया जाता है।

### सर्वोदय-पात्र

सर्वोदय-पात्र शान्ति-सेना के कार्यक्रमों का एक प्रमुख अग है। जो भी गृहस्थ इस कार्यक्रम का समर्थन बरता है, उससे अपेक्षा यह है कि घर में एक पात्र निश्चित स्थान में रखें, और उसमें रोज एक मुट्ठी अनाज ढालें।

यह शान्ति-सेना के काम के लिए उनकी सम्मति तथा सहायता के लिए है। विनोवाजी चाहते हैं कि यह अनाज घर के सबसे छोटे बच्चे की मुट्ठी से ढलवाया जाय। इससे बच्चों में ठेठ बचपन से ही दूसरों के लिए देने की भावना अर्थात् समाज भावना निर्माण होने में मदद मिलती है।

इस समय आध्र और मद्रास के प्रमुख शहरों में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से सर्वोदय-भाव का सगठन और सचालन हो रहा है।

### अन्य कार्यक्रम

सन् १९६२ में हिन्द-चीन-सघर्ष के दिनों में सर्व सेवा सघ ने एक प्रस्ताव स्वीकृत विया था। उसमें कहा गया है-

“सीमावर्ती जनता में अहिंसक प्रतीकार की शक्ति बढ़ाना हमारा एक प्रमुख काम है। शान्ति-संनिकों को चाहिए कि जहाँ-जहाँ सम्भव हो, वहाँ सब जगह लोगों को वे स्वावलभ्यी बनायें और आक्रमण का सामना असहयोग के द्वारा बरने की प्रेरणा दें। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर शान्ति-संनिकों को अपने प्राण छोड़ने को तैयार होना चाहिए और इस प्रकार दूसरा को भी दूसरा बरने की प्रेरणा देनी चाहिए।”

देश की भावात्मक एकता को मुदृढ़ बरने तथा अहिंसक प्रतीकार की भावना जाप्रत बरने के इस दोहरे काम में सहयोग देने के लिए सर्व सेवा सघ ने अहिंसा में विश्वास बरनेवाले अन्याय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी आमत्रित किया।

इस आमन्त्रण के पश्चात्य इसी उद्देश्य के लिए देश की सभी प्रमुख संस्थाओं वा प्रतिनिधित्व बरनेवाली एक समन्वय-भास्त्रिति का गठन विया गया। इस समिति के निदेशन में सीमा-धोप के अन्दर वोई १२६ वेन्ड्र बाग बर रहे हैं। ये निम्न प्रवार हैं-

जगत में ३८, उत्तराञ्जण में ३४, पूर्णिया में ३९, नेपा में ७, बगाल में ३, उत्तर प्राय में २, गागारेण में २ और हिमाचल प्रदेश में १। बाद में तथ विया गया कि पाकिस्तान की ओर को भारत की सीमा में भी इस प्रवार का बाग चालू रिया जाय। शान्ति-सेना इन कायों में लगी है।

सीमा-क्षेत्र के काम का प्रमुख उद्देश्य यह है

- १ सीमावर्ती जनता में भारत के दूसरे भागों के साथ एकात्मता का विकास करना,
- २ सीमा-क्षेत्र के लोगों की सैनिक तथा भौतिक प्रगति में सहायता देना,
- ३ आक्रमण का अहिंसक प्रतीकार करने की भावना निर्माण करना और
- ४ भैश्री की भावना निर्माण करना, जो सीमा के बाहरी इलाकों में भी प्रभाव ढाल सके।

इन केन्द्रों में जो कुछ काम अब तक चला है, उससे काफी उत्साह मिलता है। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि नेफा में जो केन्द्र खोले गये हैं, वे स्व० जवाहरलाल नेहरू के सुझाव के आधार पर खोले गये और उस क्षेत्र में सेवा के लिए खोले गये सबसे पहले के केन्द्र ये ही हैं। उससे पहले तक यह नीति मानी गयी थी कि उन क्षेत्रों को भारत के दूसरे भागों से अछूता रखा जाय।

### दिल्ली-पैरिंग मैत्री-यात्रा

भारत और चीन के बीच मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से सन् १९६३ के मार्च में यह यात्रा हुई थी। भारतीय शान्ति सेना की ओर से 'बल्ड पीस विगेड' से प्रार्थना की गयी थी कि वह इस यात्रा का संयोजन करे और तदनुसार इसका आयोजन हुआ था।

यह सही है कि यात्रा का हेतु सिद्ध नहीं हो सका, क्याकि चीन-सरकार ने अपनी सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन भारत-सरकार ने अपने देश में एक अन्तर्राष्ट्रीय यात्री-टोली को इस हेतु से यात्रा करने की अनुमति देकर अपनी उदारता दरसायी। इस यात्रा के बारें देश में मुद्द-मानस को कुछ हद तक दीतल बरने में सहायता मिली।

## नागालैण्ड-शान्ति मिशन

नागालैण्ड-शान्ति मिशन में श्री जयप्रकाश नारायण के होते हुए भी, उसमें शान्ति-सेना मण्डल का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। फिर भी शान्ति-सेना मण्डल वहाँ की समस्या के समाधान में काफी रुचि लेता रहा और उसने कोहिमा में अपना एक केन्द्र भी खोला है।

शान्ति-सेना मण्डल मानता है कि नागा-प्रदेश भारत का अग है, लेकिन मण्डल यह भी महसूस करता है कि इन विद्रोह के दिनों में नागा लोगों पर जो अत्याचार हुआ है, उसके क्रारण उन लोगों के मन में अत्यधिक कहुता पैदा हुई है। शान्ति मिशन के प्रयत्नों के फलस्वरूप कई वर्षों के बाद पहली बार वहाँ शान्ति स्थापित हो पायी। वहाँ के लोगों के लिए यह बरदान सिद्ध हुआ और इससे शान्तिपूर्ण समाधान का मार्ग खुल गया।

## उपसंहार

पिछले अध्यायो में ग्रामदान, खादी और शान्ति-सेना, इन तीनो कार्यक्रमों के विविध पहलुओं की चर्चा थी गयी। लेकिन जैसे विनोबाजी कहते हैं, ये तीनो कार्यक्रम जबरदस्ती जोड़े गये तीन भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि एक ही मूर्ति वे तीन मुँह के समान एक ही कार्यक्रम के तीन अग हैं। उस मूर्ति की उपासना एक ही मूर्ति के रूप में करनी है, अलग-अलग मुँह की अलग-अलग उपासना नहीं।

आज भारत, बल्कि सारा विश्व ही तीन प्रकार के रोगों से पीड़ित है। वे रोग हैं पूँजीवाद, नौकरशाही और सैनिकवाद। विविध कार्यक्रम के ये तीनो अग उन तीनो रोगों के उपचार के प्रतीक हैं। ग्रामदान से विवेये तीनो अग उन तीनो रोगों के उपचार के प्रतीक हैं। ग्रामदान से विवेये तीनो अग उन तीनो रोगों के उपचार के प्रतीक हैं। और इस प्रकार नौकरशाही का इलाज प्रस्तुत होता है, खादी और ग्रामोद्योगों से पूँजीवाद समाप्त हो सकता है तथा शान्ति-सेना से पुलिस और सेना वी आवश्यकता खत्म हो जाती है।

वे तीनो रोग यद्यपि भिन्न-भिन्न रोग दिखाई देते हैं, तथापि वस्तुस्थिति यह है कि वे तीनो एक ही मूल रोग के तीन प्रकट लक्षण हैं। उसी प्रकार तीनो उपचार भी एक ही कारण र साधन के तीन पथ्य के रूप में हैं।

लेकिन यह समय ग्रामदान-नूकान अभियान वा है। बड़ी राष्ट्रमें ग्रामदान प्राप्त करने के लिए हजारों कार्यवर्ती प्रयत्नशील हैं। बाबी दोनों अगों की उपेक्षा हो रही है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन यात ऐसी नहीं है। विनोबाजी के ही शब्दों में वहना है, तो ग्रामदान एक ऐसी वृनियाद है, जिसके आधार पर खादी और शान्ति-सेना वा निर्माण-कार्य विद्या जा-

सकेगा और तब ग्राम-स्वराज्य का भवत खड़ा हो सकेगा। बुनियाद ढालने का काम पहले होना चाहिए। इसलिए ग्रामदान पर जोर देने का यह अर्थ नहीं है कि बाकी दो की उपेक्षा की जाती है।

खादी-ग्रामोद्योगों का आयोजन और शान्ति-सेना का संगठन न करे, तो ग्रामदान का मूल हेतु सिद्ध ही नहीं होगा।

दूसरी ओर अनुभव यह आ रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग वास्तव में तब तक प्रगति नहीं कर पाते हैं, जब तक गाँव-समाज युद अपने हाथ में उन्हें न ले ले। आज देश के लगभग एक लाख गाँवों में खादी या ग्रामोद्योग का कुछ-न-कुछ काम चलता है। लेकिन ऐसे गाँव बहुत नहीं हैं, जहाँ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में इनका प्रमुख स्थान रहा हो। केवल ग्रामदान की भावना इन प्रवृत्तियों को उनकी लक्ष्य-सिद्धी वी और ले जा सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जिन-जिन गाँवों में खादी-ग्रामोद्योग का कुछ काम चल रहा हो, उन गाँवों को ग्रामदान में शामिल करने का प्रयत्न किया जाय।

देश की जबलन्त समस्या वा हल करने का प्रयत्न ग्रामदान से हो रहा है। इसलिए ग्रामदान का सन्देश फैलाने में लगे हुए हजारों बायंकर्ता और ग्रामवासी धन्तुतः शान्ति-सेनिक वा ही काम कर रहे हैं, भले ही शान्ति-सेनिक के रूप में उन्होंने अपना नाम दर्ज न कराया हो। एक बार एवं गाँव या थेन ग्रामदान हो जाता है तो फिर वहाँ शान्ति-सेना संगठित करना आसान हो जाता है, उसके लिए जनता वी भारी सहमति मिल जाती है।

तिस पर भी देश में जो एकता या अभाव है, साम्राज्यिकता है, संकीर्ण मनोवृत्ति है और स्वायंपरता है, इन सबके कारण ग्रामदान के घिलाफ बड़ा विरोध और भतिरोध पड़ा हो सकता है। उनसा मुख्यला और ग्रामदान-भावना वा यचाव वर्तने पा निरन्तर प्रयाग बरते रहना होगा। शान्ति-सेना और शान्ति-गेया दृढ़ ऐमी एवं अद्विगक शक्ति होगी, जो प्रतिरियांत्रों से ग्रामदान वा यचावी रहेगी और आदर्दं वी ज्योंति वो प्रज्वलित रहेगी।

इस प्रकार आन्दोलन के ये तीनों अंग एक-दूसरे में ओतप्रोत हैं और अविभाज्य हैं। ये अपने में वाकी सभी रचनात्मक प्रवृत्तियों का जाधार बनानेवाले हैं। श्री जयप्रकाशजी के शब्दों में उपमा देनी हो, तो ग्राम-स्वराज्य की तुलना बैलगाड़ी से की जा सकती है। ग्रामदान बैलों के समान गाड़ी की चालक शक्ति का काम करता है। शान्ति-सेना और खादी, दो पहिये के समान हैं। वाकी सब रचनात्मक कार्यं गाड़ी में भरने का सामान है।

बैल न हो, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। ग्राम स्वराज्य की भी यही बात है। इसीलिए विनोबाजी ग्रामदान के रूप में चालक शक्ति निर्माण करने पर जोर देते हैं।

देश की आज की आधिक परिस्थिति और आतंरिक सघर्ष के कारण बड़ी विपत्ति आनेवाली है। विनोबाजी वरावर चेतावनी दे रहे हैं कि एक-भाग ग्रामदान से ही देश खूनी क्रान्ति से बच सकेगा। इसकी तीव्रता की उत्कट अनुभूति से वे आज प्रेरित हो रहे हैं और हृदय से देश का तथा विद्व का कल्याण चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को उस तीव्रता का अनुभव होना चाहिए।



परिणामः १

## भूदान-प्राप्ति तथा वितरण के प्रान्तवार आँकड़े (मार्च '६६ तरु)

प्रान्त	जिलों की संख्या	भूमि प्राप्ति (एकड़ में)	भूमि वितरण (एकड़ में)	वितरण के अधीनस्थ सारिज भूमि (एकड़ में)	वितरण के योग्य दोष भूमि (एकड़ में)
असम	१९	११,९३५	२६५		११,६७०
आम्र	२०	२,४२,९५२	१,०३,३०८	८६,३८५	५३,२५९
उडीसा	१३	१,७३,८७२	१,०३,४१६	१५,२२२	५५,२३४
उत्तर प्रदेश	५४	४,३४,३५१	१,८४,२७४	१,३७,१२७	१,१२,९५०
बेरल	९	२६,२९३	५,७७४	७,९९९	१२,५२०
तमिलनाड	१३	८०,४३३	२१,५१९	—	५८,९१४
दिल्ली	१	३००	१८०	१२०	—
पश्चिम	१८	१४,७३९	३,६०१	३,३८०	७,७५८
गुजरात	१८	१,०३,२४२	५२,०८०	२७,९९४	२३,१६८
महाराष्ट्र	२५	१,५०,८०२	१,०७,१११	३८,३४३	५,३४५
मध्यप्रदेश	४३	४,०५,४०२	१,५६,५०६	१,७४,५३१	७४,३६५
मैसूर	१९	२०,०८६	३,१८१	५३	१६,८५२
बंगाल	१७	१२,९१८	३,८५६	८,४२६	६३६
बिहार	१७	२१,३२,७८३	३,११,०३७	१०,७९,७०१	७,४२,०४९
राजस्थान	२६	४,२९,४२८	१२,७३४	१,११,७५०	२,२४,९३७
हिमाचल	६	५,२४०	२,५३१	—	२,७०९
पूर्व-नर्मदा	१६	३११	५	—	२०६
	१११	४२,४४,९९१	११,५१,३०८	११,९१,०४१	१४,०२,५७२

भारत में ग्रान्तवार ग्रामदान  
( ३० सितम्बर १९६६ तक )

ग्रान्त	सूक्ष्म के पहले सूक्ष्म के बाद मई '६५ तक के ग्रामदान	बलिया सम्मेलन, अप्रैल '६६	कुल ग्रामदान ३० सितम्बर '६६ तक
१. बिहार	३५०	५,४६२	१०,७८३
२. उडीसा	२,४६९	२,२५१	५,२०५
३. भद्रास	३२५	६३८	१,८६७
४. गध्यप्रदेश	१८४	८७८	१,६२८
५. महाराष्ट्र	९१५	७५५	२,०५७
६. राजस्थान	३७८	४५६	९७०
७. गुजरात	२००	११४	४१६
८. आन्ध्र	५९५	४९०	२,१५२
९. प० बंगाल	३५४	२२८	५४२
१०. असम	३५७	—	१,२८६
११. पंजाब	६	—	४९१
१२. उत्तर प्रदेश	१२३	१८४	३६३
१३. हिमाचल प्रदेश	४	१३	१७
१४. केरल	४०३	६	४०९
१५. मैसूर	५८	—	५८
	७,३२१	११,६०९	२८,२४४

## भारत में प्रखण्ड-दान

( २५ अक्तूबर '६६ तक )

प्रान्त कुल	जिला	प्रखण्ड-दान
बिहार २३	हजारीबाग	१. प्रतापपुर
	पूर्णिया	२. पूर्णिया—सदर पूर्व
	दरभंगा	
	३. सरायरजन	४. वारिसनगर
	६, समस्तीपुर	७ ताजपुर
	९ कल्याणपुर	८. झज्जारपुर
	भागलपुर	
	१० विहपुर	११. गोपालपुर
	मुंगेर	१२. नवगढ़िया
	१३. गोगरी	१४. साहेबपुर कमाल
	पलामू	१५. बलिया
	१६. गाँव	१७. मनिका
	मुजफ्फरपुर	१८. मुरौल
	सारन	१९. मौजी
	सहर्पा	२०. निर्मली
	सथाल परगना	२१. सुन्दर पहाड़ी
	शाहबाद	२२ अधोरा
मध्यास १३	तिरुनेलवेली	
	२३. राधापुरम्	२४. नागुनेरी
	२६. कलक्कड	२७ कर्नुलम्
	२९. विलयकुलम्	२८. पलायनकोट्टई
	मदुराई	३०. क्याथर
	३१. नलम्	३२. उत्तर मेलूर
	३४ अतनारपट्टी	३३. दक्षिण मेलूर
महाराष्ट्र ७	ठाणा	३४. अतनारपट्टी
	३६. कोसा	३७. सैवान
	४०. जवाहर विकासगढ़	३८. तलासरी
		३९. मोखाडा
		४१. मतोर

## भारत का राज्य

६६

	चादा	४२. सिरोचा
मध्यप्रदेश ४	प० निमाड	४३. निवाली ४४. सेंधवा
	सिवनी	४५. कुरोई
	टीकमगढ़	४६. टीकमगढ़
उडीसा १३	कोरापुट	४७. नारायणपट्टना ४८. बन्धुगाँव ४९. दशमन्तपुर
		५०. लक्ष्मीपुर ५१. रायगडा ५२. उमरकोट
		५३. दावूगाँव ५४. झरिगा
	मधूरभज	५५. रासगोविन्दपुर ५६. मोरोडा ५७. बागरी
		पोसी (प्र०) ५८. बागरी पोसी (दि०)
	डंकानाल	५९. कनकादहद
पंजाब ३	रोहतक	
		६०. मुडलाना ६१. कथूर
	कागडा	६२. प्रागपुर
आंध्र २	महबूबनगर	
		६३. अचम्पेट ६४. कलुआकुर्ती
गुजरात १	बडोदा	
		६५. बोरियाद

## भारत में तालुकान्दान

( २५ अक्टूबर '६६ तक )

प्रान्त	जिला	तालुका
मद्रास	मदुराई	१. मेलूर
	तिल्लेलवेली	२. नागुनेरी
महाराष्ट्र	ठाणा	३. तलासरी
		२. मोखाडा

## शान्ति-सेना समितियों के संयोजक

१ असम	श्री तरुण बरुआ, गोहाटी
२ बगाल	श्री हृष्णकान्त चक्रवर्ती, कलकत्ता १२
३ बम्बई	श्री लालू शाह, गाँवदेवी, बम्बई ७
४ गुजरात	श्री जगदीश लखिया, वडोदा-१
५ केरल	श्री के० दामोदरन्, निचूर
६ महाराष्ट्र	श्री मोतीलाल भट्टी, बीड
७ मध्यप्रदेश	श्री चतुर्भुज पाठव, छतरपुर
८ पंजाब	श्री दादा गनेशीलाल, रेवाडी (गुडगाँव)
९ उत्तर प्रदेश	श्री विनय अवस्थी, कानपुर
१० राजस्थान	श्री बद्रीप्रसाद स्वामी, जयपुर
११ उत्कल	श्री रतनदास, राउरकेला (उडीसा)

परिशिष्ट : ५

## भारत में शान्ति-सैनिक और शान्ति-केन्द्र ( अगस्त '६६ तक )

क्रम	प्रान्त	शान्ति-सैनिक	शान्ति-केन्द्र
१.	बिहार	४,४७३	३४६
२.	उत्तर प्रदेश	२,६४१	१०५
३.	महाराष्ट्र	१,८७१	३००
४	राजस्थान	६९९	८
५	मध्यप्रदेश	६१३	४१
६.	पंजाब	४०२	७
७	असम	३८०	८०
८.	बंगाल	२५२	१४
९.	उत्कल	२१५	३६
१०.	दिल्ली	१९५	-
११.	आध	१७२	१
१२	गुजरात	१००	८
१३	वेरल	६६	११
१४	तमिलनाड	५९	४५
१५	मैसूर	१७०	१२
१६	हिमाचल प्रदेश	५०	१२
१७	नागालैण्ड	-	२
१८.	नेपा	-	९
<hr/>			<hr/>
१२,१६२			<hr/> १,११८

\* ये आंकड़े अधूरे हैं।